PUBLICATIONS DIVISION
Ministry of I & B.
LIBRARY
10 MAY 1957

ग्राम सेवक

सामुदायिक विकास-मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 'ग्राम सेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण ग्रामवासियों के उपयोगार्थ निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

वार्षिक मूल्य १।) : एक प्रति =)

बाल भारती

नन्हें मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ४) : एक प्रति ।=)

कुरुक्षेत्र

सचित्र मासिक पत्र जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम-सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं।

वार्षिक मूल्य २॥) : एक प्रति ।)

आकाशवाणी प्रसारिका

(सचित्र त्रैमासिक)

'आकाशवाणी प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का त्रैमासिक संग्रह है। सुन्दर गेट-अप की इस सचित्र पत्रिका का मूल्य ८ आना है। वार्षिक मूल्य २)

आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ६) : एक प्रति ॥)

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास मन्त्रालय का मासिक मुखपत्र

वर्ष २] मार्च १९५७ [अंक ५

विषय-सूची

आवरण चित्र [कलाकार : सुशील सरकार]		
भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम	कार्ल सी० टेलर	२
राष्ट्रीय जीवन में पशुधन का महत्व	अजितप्रसाद जैन	७
टेलर रिपोर्ट	रघुवीर सहाय	१०
ग्राम सेवकों की जिम्मेदारियाँ	सावित्री निगम	१२
हमारे नये सिक्के	...	१४
चित्रावली	...	१५-१८
नूरपुर सामुदायिक विकास खण्ड की यात्रा	बरकत नारायण	१९
ग्रामीण नेताओं का प्रशिक्षण शिविर	के० साहू	२१
सूरज जाग रहा है ! [कविता]	देवप्रकाश गुप्त 'अंशुकर'	२२
धरती बदल रही है	प्राणनाथ सेठ	२३
आसफ़पुर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	...	२७
सेहत खराब क्यों है ?	सावित्रीदेवी वर्मा	२९
प्रगति के पथ पर	...	३१

सम्पादक :
केशवगोपाल निगम
[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]
उप-सम्पादक : *अशोक*

मुख्य कार्यालय
ओल्ड सेक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २॥)
एक प्रति का मूल्य ।)

विज्ञापन के लिए
बिज़नेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीज़न,
दिल्ली—८ को लिखें ।

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

कार्ल सी० टेलर

[अमेरिका के समाजशास्त्री डा० कार्ल सी० टेलर ग्राम जीवन की समस्याओं के जाने-माने विशेषज्ञ हैं। संसार के प्रायः सभी सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उन्हें व्यापक अनुभव है। फोर्ड फाउण्डेशन की ओर से सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में परामर्श देने के लिए वह हाल ही में भारत आए थे। इस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, नीचे हम उसका सारांश दे रहे हैं—सम्पादक]

भारत की देहाती जनता के निकट स्थानीय समस्याएँ अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। देश की प्रगति के लिए बनाई गई योजनाओं में इन समस्याओं का किसी दूसरी समस्या से कम महत्व नहीं है। इन समस्याओं को स्थानीय जनता के उत्साही और कर्मठ दल जितनी अच्छी तरह हल कर सकते हैं, उतनी अच्छी तरह देश का कोई अन्य व्यक्ति या दल हल नहीं कर सकता। इसलिए यह फैसला किया गया है कि गाँववाले न केवल यह निर्णय करेंगे कि पहले कौन-सा काम करना है और पीछे कौन-सा, बल्कि उन समस्याओं के हल की ज़िम्मेदारी भी मुख्य रूप से उन्हीं पर होगी। प्रत्येक गाँव की जनता पहले इस बात का फैसला करती है कि उनकी क्या ज़रूरतें और आवश्यकताएँ हैं और फिर उन्हें पूरा करने के लिए सब के सब मिल कर बड़ी लगन और उत्साह से जुट जाते हैं। इस तरह भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है।

सामुदायिक कार्यक्रम वह तरीका है जिसके द्वारा गाँववाले अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए स्वयं ही प्रयत्न करते हैं और राष्ट्र के विकास में सहायक बनते हैं। यह तरीका इस अनुभव पर आधारित है कि विकास-कार्यों में अकर्मण्य और रूढ़िवादी गाँववालों की मदद कीजिए, उन्हें स्वयं निर्णय करने और ज़िम्मेदारी सम्हालने का मौका दीजिए और तब देखिए कि वे खुद आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हो उठेंगे।

भारत के इस कार्यक्रम की एक विशेषता यह है कि यह एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम होने के साथ-साथ विस्तार कार्यक्रम भी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस रूप में कि इसका मुख्य उद्देश्य भारत के ५ लाख से भी अधिक गाँवों को ऐसे तरीकों से सुधारना है जो गाँववालों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वयं काम करने को अनुप्रेरित और उत्साहित करें। विस्तार कार्यक्रम इस रूप में है कि यह गाँव और ज्ञान के उच्च केन्द्र के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत के लाखों गाँवों में रहने वाले २७ करोड़ ५० लाख ग्रामवासियों को कृषि, शिक्षा और क्षेत्रों में होने वाली अन्य वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति से भी परिचित कराया जाता है।

इस कार्यक्रम की विशेषता इस बात में नहीं कि इसके अन्तर्गत लाखों करोड़ों व्यक्ति और लाखों वर्गमील क्षेत्र आता है। न ही इस बात में इसकी कोई विशेषता है कि लोग बहुत बड़ी संख्या में इसमें भाग लेते हैं। इसकी विशेषता तो इस बात में है कि उच्च प्रशिक्षित टेकनीशियनों और पर्याप्त धन के अभाव में भी यह कार्यक्रम भारत के एक लाख से भी अधिक गाँवों में फैल गया है। यह कोई सम्पूर्ण कार्यक्रम नहीं है, तथापि इसी कार्यक्रम के कारण भारत के गाँवों में विविध परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जो देश वित्तीय दृष्टि से समृद्ध नहीं है, जहाँ उच्च प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी है, जहाँ लाखों करोड़ों किसानों तक प्रगति का सन्देश पहुँचाना है; पर जहाँ लोगों के पढ़े-लिखे न होने के कारण यह कार्य सरल नहीं, वहाँ यह तरीका कारगर सिद्ध हो सकता है। इस कार्यक्रम में सातवीं-आठवीं तक पढ़े व्यक्तियों में से कुछ व्यक्ति सावधानीपूर्वक छाँट लिए जाते हैं और उन्हें गाँववालों को प्राविधिक, प्राथमिक चिकित्सा और बहूद्देशीय योजनाओं में सहायता देने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इन्हें ग्राम सेवक कहा जाता है। इन ग्राम सेवकों की सहायता के लिए कुछ थोड़े से उच्च प्रशिक्षित व्यक्ति होते हैं। सरकार इन उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञों और ग्राम सेवकों की मदद से ग्रामवासियों तक प्राविधिक ज्ञान पहुँचाती है.....

भारत का यह सामुदायिक कार्यक्रम विश्व भर में सरकार द्वारा चलाए जानेवाला विशालतम कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जो पहले कभी भी नहीं उठाए गए थे। सब से महत्वपूर्ण बात यह हुई है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा प्रशासन की सुनियोजित योजनाओं द्वारा सरकार के सभी विभागों और अभिकरणों का उच्च प्राविधिक ज्ञान गाँववालों तक पहुँचने लगा है। इस कार्यक्रम में जो सफलताएँ मिली हैं, यदि

उनको ठीक तरह समझा जाए, तो वे न केवल हमारे भविष्य का कार्यक्रम निर्धारित करेंगी, बल्कि अन्य विकासोन्मुख देशों के लिए भी पथ-प्रदर्शक सिद्ध होंगी।

साधन, जनशक्ति और धन का प्रबन्ध, संगठन और आवश्यकतानुसार वितरण ही प्रशासन कहलाता है। जनता के कार्यक्रम में जनशक्ति के प्रबन्ध, संगठन और आवश्यकतानुसार वितरण का ही विशेष महत्व होता है। स्थानीय दलों के नेताओं को हुक्म चलाने का इतना काम नहीं है, जितना ग्रामवासियों में प्रेरणा और उत्तरदायित्व की भावना भरने का।

यह तो ठीक है कि इस कार्यक्रम को चलानेवाले अपने काम के लिए स्वयं मेहनत करने के लाभों और उनकी महत्ता को समझते हैं। पर इसके बावजूद भी इसकी सम्भावना है कि अनजान में ही वे जनता के कामों में हस्तक्षेप करें। इस सम्भावना से बचने का यही तरीका है कि गाँववालों को अपने उद्देश्य और लक्ष्य स्वयं चुनने दिए जाएँ। जिस काम को करने का वे स्वयं फैसला करेंगे, उस काम को वे अवश्य ही लगन से करेंगे। एक काम को अधिक से अधिक आदमी करें, इसका केवल एक ही उपाय है कि वे अपनी प्रगति के लिए जो कुछ करना चाहें, उसका फैसला उन्हें स्वयं करने दिया जाए और फिर उसे पूरा करने में उनकी सहायता की जाए। जिस काम को उन्होंने खुद करने का निर्णय किया है, उसे तो वे स्वयं उत्साह से करना चाहेंगे, पर यदि कोई अन्य व्यक्ति उन्हें कहे कि तुम इतना काम जनसहयोग से करो, उन्हें काम करने का समय बताए और यह निर्धारित करे कि इतनी अवधि में यह काम पूरा हो जाए, तो शायद गाँववालों में जाने या अनजाने उस काम के लिए प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। ग्राम समुदाय सेना की पलटन की तरह नहीं जो अफसर के हुक्म पर परेड करती जाए। यदि वह अफ़सर ऊपर से थोंपा गया हो, तब तो काम चलने की आशा और भी कम हो जाती है।

सामुदायिक विकास के कार्य में, जो लाखों-करोड़ों व्यक्तियों के सहयोग और श्रमदान पर निर्भर करता है, निर्णय स्थानीय जनता द्वारा ही किए जाने चाहिएँ। सामुदायिक कार्यक्रम के छोटे-छोटे अधिकारियों को यह पता हो कि बड़े अधिकारी क्या चाहते हैं, इससे अधिक आवश्यक यह है कि उच्च अधिकारियों को यह पता होना चाहिए कि स्थानीय क्षेत्रों में रहनेवाली जनता ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार काम करने का क्या निर्णय किया है।

प्रशासन की जटिल समस्याओं और शीघ्र निर्णय करने की आवश्यकता के कारण उच्च अधिकारी कई बार यह भूल जाते हैं कि कार्यक्रम में उनका काम सिर्फ इतना ही है कि जनता के निर्णय को कार्यान्वित करें। कानूनी तौर-तरीकों, धन के वितरण और प्रशासकीय निर्देशों के कारण स्थानीय जनता के उत्साह को धक्का लगता है। सरकार वह काम कभी नहीं कर सकती जो ३७ करोड़ व्यक्ति स्वयं मिल कर कर सकते हैं। सरकार तो केवल उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम : एक आन्दोलन

यह तो ठीक है कि भारत ही एक मात्र ऐसा देश नहीं जहाँ यह कार्यक्रम चालू है और न ही यह बात सच है कि भारत में ही यह कार्यक्रम सबसे पहले शुरू हुआ है। महत्व तो इस बात का है कि केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ यह कार्यक्रम एक आन्दोलन बन गया है। इसके आन्दोलन बनने का एक प्रमुख कारण है जनसाधारण में गरीबी तथा निम्न जीवन स्तर के प्रति असन्तोष। जब लोगों ने देखा कि इस कार्यक्रम से उनका असन्तोष दूर हो रहा है, तब उन्होंने इस कार्यक्रम में उत्साह से भाग लेना शुरू कर दिया और उसे एक आन्दोलन का रूप मिल गया।

जब गाँववालों को यह पता लगता है कि अपनी उन्नति के लिए वे कोई काम कर सकते हैं, तो वे उसमें जी जान से जुट जाते हैं और उस काम में उनकी पूरी शक्ति लग जाती है। इस तरह वे एक-एक करके अपने लाखों गाँवों का सुधार करने को कृतसंकल्प हैं। वास्तव में भारत के सामुदायिक कार्यक्रम की महत्ता केवल इस बात में ही नहीं है कि यह एक आन्दोलन बन गया, बल्कि इसके द्वारा सरकार का सारा प्राविधिक ज्ञान सुसंगठित ग्राम समुदायों को उपलब्ध हो जाता है।

भारत में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है कि विस्तार कार्यक्रम जनता के सहयोग से ही आगे बढ़ सकता है। विस्तार कार्यक्रम से हमारा तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक और टेक्नीकल ज्ञान को व्यक्तियों और परिवारों तक पहुँचाया जाए ताकि वे उन नए तरीकों को दैनिक उपयोग में लाने लगें। चाहे ये उन्नत तरीके खेती से सम्बन्धित हों या घरेलू उद्योगों अथवा स्वास्थ्य सुधार से या फिर उत्तम खाद्य या प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नए उपाय सुझाए गए हों, उन्हें व्यक्तियों और परिवारों को अपनाना पड़ेगा। जब तक लोग सामूहिक रूप से इन्हें न अपना लें, तब तक कुछ बनना-बनाना नहीं है।

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम, विस्तार-कार्यक्रम से कुछ बढ़ कर ही है। इसके अन्तर्गत वह तरीका या तरीके आ जाते हैं जिनके द्वारा गाँववाले अपने-अपने परिवार और सारे गाँव के लिए हितकारी योजनाओं को मिल कर पूरा करते हैं। इन कार्यक्रमों में कई बार विस्तार विशेषज्ञों की सहायता की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। कई बार केवल जनशक्ति को ही संगठित करना होता है। ऐसी दशा में जिस विस्तार विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, वह केवल

ग्रामीण समुदायों को संगठित करना है। उसी से गाँववालों की छिपी हुई जनशक्ति का उपयोग हो सकता है।

सामुदायिक विकास के लिए आवश्यक कदम

सामुदायिक विकास का पहला कदम यह होता है कि गाँववाले मिल कर एक निश्चित तौर-तरीके से अपनी सामान्य समस्याओं पर विचार करते हैं। किसी भी समस्या का पूरा विश्लेषण तभी हो सकता है जब उस पर ढंग से विचार किया जाए। गाँववाले इन समस्याओं पर विचार तभी करते हैं जब उन्हें इस बात का विश्वास हो कि अपने इस कार्य में उन्हें सरकार या किसी अन्य संस्था से सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा।

दूसरा कदम यह निर्णय करना होता है कि इन समस्याओं में से पहले किस समस्या को हल किया जाए। वह योजना ऐसी होनी चाहिए जिसे जनता स्वयं पूरा कर सके ताकि उसमें योजना पूरी करने के प्रति उत्साह भी पैदा होता रहे। इसके बाद उन लोगों की सूची बनाई जाती है जो योजना पूरी करने में श्रम, धन और सामग्री से सहायता देंगे। क्या किया जा सकता है और क्या किया जाना चाहिए, इसके बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

तीसरा कदम है सारी की सारी स्थानीय जनता को विकास-कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। जब गाँव के कई व्यक्ति अच्छी संख्या में मिल कर एक योजना को पूरा करने में जुट जाते हैं और उसके पूरा होने पर जब सारे गाँव को लाभ होने लगता है, तो कार्यक्रम के प्रति कम रुचि रखने वाले या उदासीन लोग भी इस कार्यक्रम में रुचि लेने लगते हैं।

जब सभी गाँववालों में विकास कार्य के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, तब चौथा कदम उठाने की बारी आती है। उस समय जनता के दल बनाना और उनके उत्साह का सदुपयोग करने के लिए नई योजनाएँ बनाना आवश्यक है। दलों का उत्साह बढ़ने के दो कारण होते हैं। अब तक जो कार्य हुआ है, उसके आधार पर नया कार्य करना सरल होता है। दूसरा कारण वह है कि पहला कार्य सफलतापूर्वक समाप्त कर लेने से उनमें जिस गौरव का उदय होता है, उसके कारण उनमें और अधिक काम करने की भावना पैदा हो जाती है।

दुनिया के किसी अन्य देश में इतने विशाल स्तर पर लोकतन्त्री तरीकों से लाखों-करोड़ों व्यक्तियों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के प्रयास नहीं किए जा रहे। पर यह तथ्य नज़र से ओझल नहीं किया जा सकता कि समुदाय चाहे एक हो या हजार, उनके विकास के मूलभूत सिद्धान्त वही रहेंगे। विकास-कार्य के लिए सभी जगह प्रशिक्षित स्थानीय कार्यकर्ताओं और स्थानीय दलों का निर्माण आवश्यक है।

ग्राम सेवक : एक सलाहकार

भारत के गाँवों के सामने जितनी समस्याएँ है, उनमें से अधिकतर को हल करने के लिए बाहरी सहायता की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली आवश्यकता होती है एक सलाहकार की! उसके दो काम होते हैं, एक तो वह गाँववालों को यह बताता है कि उन्हें सहायता कहाँ से उपलब्ध हो सकती है। उसका दूसरा काम अधिक महत्वपूर्ण है। वह दूसरों को गाँववालों की आवश्यकताओं और ज़रूरतों के बारे में बताए। इस सलाहकार के रूप में ग्राम सेवक को गाँववालों का 'मित्र, विचारक और पथप्रदर्शक' बनना चाहिए। उसे तो एक सलाहकार और विभिन्न दलों के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला ही होना चाहिए। वह न तो सभी दलों की बैठकों में सम्मिलित हो सकता है और न ही उनके दिन प्रति दिन के विचार-विमर्श में उपस्थित रह सकता है। कोई सलाहकार या ग्राम सेवक गाँववालों का कितना ही मित्र या पथ प्रदर्शक हो, किसी दल का सदस्य नहीं बन सकता।

प्रायः बाहरी आदमियों में अधिक विश्वास रखा जाता है और इस बात की उपेक्षा की जाती है कि स्थानीय दलों में कई लोगों में नेतृत्व शक्ति होती है। भारत के गाँवों में ऐसे लोग की संख्या सहस्रों में हैं। भले ही उन्हें नेता के नाम से न पुकारा जाए, पर वे अपने लाखों-करोड़ों ग्रामीण भाइयों का पथ-प्रदर्शन अन्य व्यक्तियों से अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं। पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ये नेता केवल स्थानीय दलों के नेता ही बन सकते हैं, दूसरे दलों के हरेक काम के लिए वे उपयुक्त नहीं हो सकते।

सामुदायिक संगठन का सबसे बड़ा वरदान यह है कि यह गाँव के सभी दलों का सहयोग प्राप्त करता है और ऐसे व्यक्तियों को ढूँढ़ निकालता है जो नेता बनने के योग्य हैं। पर यदि वह किसी दल को अपना न्यायोचित कार्य न करने देने की चेष्टा करता है, तो एक नुकसान तो यह होता है कि वे जो काम करते, वह नहीं हो पाता और दूसरा उससे उनकी दुश्मनी हो जाती है। यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि भारतीय गाँव में लाखों स्थानीय नेता है। उनको ढूँढ़ निकालने, प्रोत्साहित करने और उनसे काम लेने से अधिक महत्वपूर्ण कार्य और कोई नहीं है।

भारत में सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से हरिजन सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं। पर ग्राम सुधार कार्य में हरिजनों का उत्साह दूसरे लोगों से अधिक है। हरिजन अपने हिस्से से भी अधिक काम कर रहे हैं। उससे उनको लाभ भी हो रहा है। मैंने अनेक हरिजनों से बातचीत की। इस बारे में वे अधिक आशावादी नहीं थे कि गाँव में रहते हुए उनकी दशा में कोई बहुत अन्तर हो जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि उनके बच्चे तभी उन्नति

कर सकते हैं जब वे कम से कम चौथी-पाँचवीं तक शिक्षा प्राप्त करके शहर चले जाएँ। उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति इसी बात पर निर्भर करती है कि वे गाँव छोड़ कर शहर चले जाएँ। कुल मिला कर उनका दृष्टिकोण बहुत आशावादी न था।

ग्राम सेवकों का चुनाव और प्रशिक्षण पूर्णरूपेण ठीक ढंग से नहीं होता। न ही सब ग्राम सेवक निपुण और अध्यवसायी होते हैं। कई ग्रामसेवकों का चुनाव महज़ उनके 'शिक्षित बेकार' होने के कारण हुआ था, पर वे अपने को इस काम के उपयुक्त सिद्ध नहीं कर पा रहे थे। कुछ खण्ड अधिकारियों ने तो यहाँ तक कहा कि कुछ ग्राम सेवक तो तुरन्त बर्खास्त किए जाने योग्य हैं। वे अधिकार न होने के कारण उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते।

तथापि जिन ग्राम सेवकों से मैं मिला, उनमें से अधिकतर की योग्यता, निपुणता और अध्यवसाय से प्रभावित हुए बिना न रह सका। ऐसा लगता है कि उनके अधिकारी उन पर काम का ज्यादा बोझ डाल देते हैं। यह भी पता लगा कि उन्हें सामूहिक ढंग से काम करना और करवाना नहीं आता। पहली बात में तो अधिकारियों का दोष लगता है। दूसरी का कारण शायद यह है कि उन्हें प्रशिक्षण के समय दल के रूप में काम करने की शिक्षा नहीं मिली। कुछ ग्राम सेवकों ने मुझे बताया भी कि दल बना कर काम करने की शिक्षा तो उन्हें वास्तव में उस समय मिली जब उन्होंने कार्यक्षेत्र में पैर रखा और गाँववालों के साथ काम करना शुरू किया। मुझे सन्देह है कि इसका कारण यह है कि ग्राम सेवकों के शिक्षक स्वयं भी गाँवों में जाने से कतराते हैं। पर इससे जो लाभ हुआ है वह नगण्य नहीं .....

विशेषज्ञों की आवश्यकता

अगले पाँच वर्षों में १२,००० खण्ड और ज़िला विस्तार विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ेगी। भविष्य में और भी हज़ारों लाखों विशेषज्ञों की आवश्कता पड़ेगी। इस विशेषज्ञों को सामुदायिक विकास और विस्तार कार्यक्रमों के कार्यकर्त्ताओं या कृषि कालेजों के विस्तार विभागों के विद्यार्थियों में से, जिन्हें सामुदायिक विकास और विस्तार कार्यक्रमों का व्यावहारिक अनुभव होता है, भर्ती किया जाना चाहिए। इनकी कुशलता पर ही कृषि उत्पादन की वृद्धि निर्भर करती है। जितना धन नई भूमि को फिर से खेती योग्य बनाने में व्यय किया जाता है, यदि उतना ही धन इन विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर व्यय किया जाए तो कहीं अधिक लाभ होगा। प्रगतिशील देशों में भी उत्पादन वृद्धि का बड़ा कारण विस्तार कार्य ही है, न कि साधनों में वृद्धि करना।

सेवा भाव से मिल कर काम करना भारतीय परम्परा की एक अमूल्य देन है। प्रत्येक दल में समान विचार और उद्देश्यों वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनके उद्देश्यों के विस्तार के भी इच्छुक होते हैं। जब तक उनके विचार और उद्देश्य सामाजिक हितों के विपरीत नहीं होते, तब तक ऐसे संगठन लोकतन्त्र के लिए एक वरदान सिद्ध होते हैं।

यदि इन सेवा संगठनों को शासनतन्त्र के ढाँचे का ही एक अंग बना लिया जाए, तब उन्हें काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पर यदि उन्हें एक कार्य विशेष की ज़िम्मेवारी सौंप दी जाए तो वे उसे अपनी सारी शक्ति से पूरा करने की चेष्टा करेंगे। दूसरी ओर यदि उन्हें किसी कार्य विशेष की ज़िम्मेवारी न सौंपी जाए, तो सम्भव है कि उनके कार्य प्रायः ऊटपटांग और सरकारी नीति के विपरीत हों तथा उसमें उनका स्वार्थ भी हो। जब ऐसे संगठनों को ज़िम्मेवारी सौंप दी जाती है, तो उसके सदस्यों में स्वयं काम करने की अधिक प्रेरणा उत्पन्न होने के साथ-साथ कई नेताओं का भी पता चल जाता है।

प्रत्येक सेवा संगठन अपना नेता चुनता है। ये नेता अपने दल के सदस्यों और दूसरे दलों आदि में, जिनमें सरकारी संस्थान भी शामिल हैं, तालमेल रखते हैं। पर इस तरह वे सरकार के एजेण्ट नहीं बन जाते, क्योंकि ये नेतागण अपने दलों और दूसरे लोगों में सम्पर्क रखते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि इन नेताओं और संगठनों को सरकारी अफ़सर निर्देश दे सकते हैं। यदि ऐसा करने का प्रयत्न किया गया, तो उनकी आज़ादी छिन जाएगी और उसी के साथ-साथ उनकी सेवा भावना भी नष्ट हो जाएगी।

भारत में सेवा भाव से काम करने की भावना विश्व के किसी भी देश से अधिक है। यदि इस भावना का पूरा उपयोग किया जाए, तो बहुत लाभ हो सकता है। पर यदि उन पर नियन्त्रण रखने की चेष्टा की जाए, तो इससे उतना लाभ न होगा।

इस कार्यक्रम का कार्य जाँच संगठन, प्रशासन से बिलकुल अलग, सीधे योजना आयोग के अन्तर्गत काम करता है। यह इस कार्यक्रम की एक विशेष बात है। कुछ अन्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं—अन्तर्राज्यीय और प्रादेशिक गोष्ठियों और सम्मेलनों में कार्यक्रम के छोटे-बड़े सभी अधिकारी भाग लेते हैं। कुछ अन्तर्राज्यीय सम्मेलनों में भाग लेने वालों में ग्राम सेवकों और गाँववालों की संख्या अधिक होती है। कुछ सम्मेलनों में खण्ड विकास अधिकारियों की संख्या अधिक होती है। प्रादेशिक गोष्ठियों में सभी स्तरों के कार्यकर्ता और प्रशासक भाग लेते हैं। इन सम्मेलनों और गोष्ठियों आदि में अगले वर्ष के लिए कार्यक्रम आदि निर्धारित किए जाते हैं।

मैंने छः प्रादेशिक और दो अन्तर्राज्यीय गोष्ठियों में भाग लिया। इनके बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। यह आशा की जाती है कि इनमें भाग लेने वाले व्यक्ति गोष्ठी में विचारार्थ प्रस्तुत विषयों, उनके दिन-प्रतिदिन के काम में आने वाली कठिनाइयों आदि पर निर्भयतापूर्वक और निस्संकोच अपने

विचार प्रकट करें और उनकी आलोचना-प्रत्यालोचना करें। पर मैंने देखा यह कि ग्राम स्तर के कार्यकर्त्ता, जिनके सामने कठिनाइयाँ आती हैं, इनमें अपने विचार निर्भीक हो कर प्रकट नहीं करते। इस स्थिति में सुधार होना चाहिए।

एक सवाल प्रायः पूछा जाता है कि क्या यह कार्यक्रम एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है जिसमें जन सहयोग मिल रहा है? यह बात कुछ समझ में आती है। इसका कारण भी स्पष्ट है। सरकार की प्रेरणा से ही यह चालू हुआ है। भारत में हुए कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि गाँववालों को शिक्षा, प्राविधिक सहायता और सामुदायिक विकास कार्यों द्वारा सहायता और प्रोत्साहन दिया जाए, तो वे अपना जीवन स्तर और सामाजिक स्तर उठाने को कटिबद्ध हो जाएँगे। पर यह प्रकाश भारत के ५ लाख गाँवों में से बहुत कम में ही पहुँचा है। और फिर यह सब काम सरकार को ही चलाने पड़ते हैं। इसीलिए इन कार्यक्रमों में सरकार का बहुत अधिक भाग है। सवाल यह नहीं है कि सरकार इनमें भाग ले या न ले, बल्कि यह है कि क्या इस कार्यक्रम से गाँववालों, स्थानीय नेताओं और दलों में प्रेरणा और जिम्मेदारी उत्पन्न हो रही है या नहीं?

गाँववालों की बढ़ती हुई आकांक्षाएँ

जहाँ तक गाँववालों का सम्बन्ध है, अब वे अकर्मण्य नज़र नहीं आते। पैदावार बढ़ाने, रहन-सहन की सुविधाएँ और जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए वे उत्सुक हैं। मेरे विचार में तो उनमें जिस गति से परिवर्तन आया है, वह भारत के राष्ट्रीय नेताओं की कल्पना से भी अधिक है। मेरी राय में तो उनमें परिवर्तन इतनी द्रुत गति से आएगा कि अधिकारियों के सामने यह समस्या नहीं रहेगी कि उन्हें किस तरह काम करने के लिए प्रेरित किया जाए बल्कि यह होगी कि उनकी बढ़ती हुई आकांक्षाएँ किस तरह पूरी की जाएँ। इस कारण मेरा यह विश्वास है कि अब गाँवों में दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने के लिए प्रचार करने की अपेक्षा उनकी उचित आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सामुदायिक विकास और विस्तार के तरीकों पर अधिक ज़ोर दिए जाने की आवश्यकता है।

सामुदायिक विकास और विस्तार कार्यक्रम का मूल सिद्धान्त यही है कि सरकार से प्राविधिक सहायता मिलने पर गाँववाले स्वयं अपने परिश्रम से अपनी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधार सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि न केवल विकास विभाग सुदृढ़ हों, बल्कि उनमें समन्वय भी हो। इसलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस तरीके से चलना चाहिए कि काम पूरी कुशलता से हो।

. यह वास्तव में दुखद बात होगी यदि निकट भविष्य में ही गाँववाले यह देखें कि उनकी बढ़ती हुई प्राविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विस्तार विशेषज्ञ उचित संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। यदि विकास विभाग उनकी यह आवश्यकता पूरी न कर सके, तो वास्तव में यह सामुदायिक कार्यक्रम की असफलता ही होगी।

भारत में कार्यक्रम का उज्ज्वल भविष्य

पिछले पन्द्रह वर्षों में मैंने सात अन्य देशों में भी सामुदायिक कार्यक्रमों का अध्ययन किया है। पर उन देशों और भारत में एक बड़ा अन्तर यह है कि भारत में लोकतन्त्र है। यदि उच्च स्तर पर तो लोकतन्त्र हो, पर निचले स्तर पर न हो, तो लोकतन्त्र की भावना पनप नहीं सकती। यदि उच्च स्तर पर सामन्तशाही का बोलबाला हो तो निचले स्तर पर लोकतन्त्र का विकास असम्भव है। जिन देशों में स्थानीय जनता के विकास के तो प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन संसद में सामन्तवादी तत्वों का बोलबाला है, वे अपने यहाँ भूमि सुधार के कानून बना कर इस काम में सफल न हो सकेंगे। किन्तु भारत में सामन्तवादी व्यवस्था बहुत कुछ समाप्त की जा चुकी है। न केवल चकबन्दी हो चुकी है, प्रत्युत भूमि का वितरण भी किया जा चुका है। मेरी राय में ऐसी परिस्थिति में सामुदायिक विकास-कार्य भली भांति चल सकता है। मुझे सन्देह है कि जिन देशों में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं, वहाँ सामुदायिक विकास-कार्यक्रम सफल भी हो सकेंगे या नहीं?

★

मनु महाराज ने कहा है कि 'सदा शुचिः कारुहस्तः'—काम करने वाले के हाथ सदैव पवित्र रहते हैं। किसी मज़दूर के हाथ में काम करते-करते मिट्टी लग जाती है और वह उन्हीं हाथों से रोटी खा लेता है तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि उसके हाथ पवित्र हैं। मेहनत से हाथ मैले नहीं, पवित्र होते हैं। अपवित्र काम से ही हाथ अपवित्र होते हैं। पवित्र और उत्पादक श्रम से हाथ पवित्र ही होते हैं। मनु महाराज के इस सन्देश को हमने ठीक से नहीं समझा और मेहनत करने वाले मज़दूर को नीच माना। मज़दूर को कम मज़दूरी दी जाती है और प्रोफेसर को ज्यादा तनख्वाह। ऐसा क्यों? शारीरिक-परिश्रम को, उत्पादक काम को तो श्रेष्ठ मानाना चाहिए। —विनोबा भावे

राष्ट्रीय जीवन में पशु-धन का महत्व

अजितप्रसाद जैन

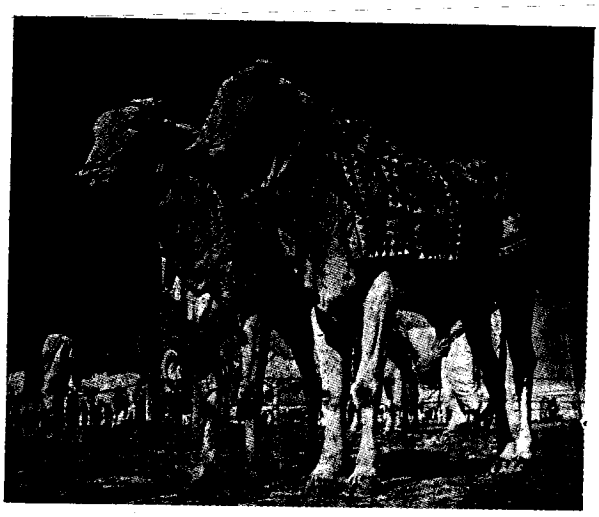

राष्ट्रीय जीवन में पशु-धन का बहुत महत्व है और केवल कृषि की दृष्टि से ही नहीं, लोक-स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पशुओं का वैज्ञानिक ढंग से पालन नितान्त आवश्यक है। यह खेद का विषय है कि भारत में इतना पशु-धन होते हुए भी दूध और अच्छे बैलों की कमी है। यहाँ दूध की खपत प्रति व्यक्ति केवल ५.३ औंस है जो पोषण की दृष्टि से बहुत कम है। पश्चिमी देशों में प्रति व्यक्ति दूध की खपत बहुत अधिक है। डेनमार्क में खपत ४० औंस है और कनाडा में ५६ औंस। भारत जैसे देश में, जहाँ अधिकांश लोग शाकाहारी हैं, दूध की कमी वास्तव में विचारणीय है। दूध और बैलों की इस भारी कमी को दूर करने के लिए सरकार और जनता दोनों को मिल कर प्रयत्न करना चाहिए।

समस्या का असली रूप

हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का पहला वर्ष समाप्त हो रहा है। समस्या का हल करने के लिए सरकार ने मुख्य ग्राम, गोसदन, गोशाला विकास आदि के सम्बन्ध में अनेक योजनाएँ आरम्भ की हैं। आशा है, इनसे पशुओं की समस्या बहुत कुछ हल हो जाएगी। पहली पंचवर्षीय योजना में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए अखिल भारतीय आधार पर मुख्य ग्राम योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वे प्राप्त हो चुके हैं और जो केन्द्र स्थापित किए गए थे, वे सन्तोषजनक प्रगति कर रहे हैं। दूसरी योजना में यह कार्य काफी बड़े पैमाने पर किया जाएगा।

अच्छी नस्ल के साँड

यह प्रसन्नता की बात है कि लोग अब अच्छी नस्ल के साँडों की आवश्यकता को अधिक अनुभव करने लगे हैं और कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है। घटिया साँडों को हटाने के लिए काफी प्रचार किया जा रहा है और इसके लिए कई राज्यों में पशु-सुधार अधिनियम भी लागू कर दिया गया है। मुझे आशा है कि अन्य राज्य भी पशु-सुधार के लिए ऐसे ही अधिनियम बनाएँगे। भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में ४७ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, २९१ मुख्य ग्राम केन्द्र और ७ विस्तार केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी है और राज्यों में अच्छी नस्ल के ४,००० साँड तैयार करने के लिए आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया है।

गोसदन योजना

पशुओं की नस्ल सुधारने की किसी भी योजना को सफल बनाने के लिए अनावश्यक पशुओं को हटाना बहुत ज़रूरी है। इसी ख्याल से बूढ़े और दूध न देनेवाले पशुओं को हटाने के लिए परिषद ने गोसदन स्थापित करने की योजना बनाई है। इस परियोजना के अन्तर्गत पहली योजना की अवधि में २५ गोसदन स्थापित किए गए थे। इस काम में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे चराई के लिए उपयुक्त क्षेत्र, पशुओं की कमी आदि। इन कठिनाइयों के कारण केन्द्रों की प्रगति कुछ धीमी रही।

गोशालाओं का विकास

परिषद् ने राज्यों में मौजूदा गोशालाओं के विकास की एक योजना बनाई थी। उस अनुभव से प्रेरणा पा कर इन गोशालाओं के विकास की एक विस्तृत परियोजना दूसरी योजना में सम्मिलित की गई है। इसके अनुसार अच्छी नस्ल की २० गाएँ और एक अच्छा साँड हरेक गोशाला में होगा, गोशाला को वित्तीय सहायता दी जाएगी, अच्छे-अच्छे बछड़े चुन कर पाले जाएँगे और सहायता दी जाएगी। चालू वर्ष में समूचे देश में ७२ गोशालाओं का विकास होगा।

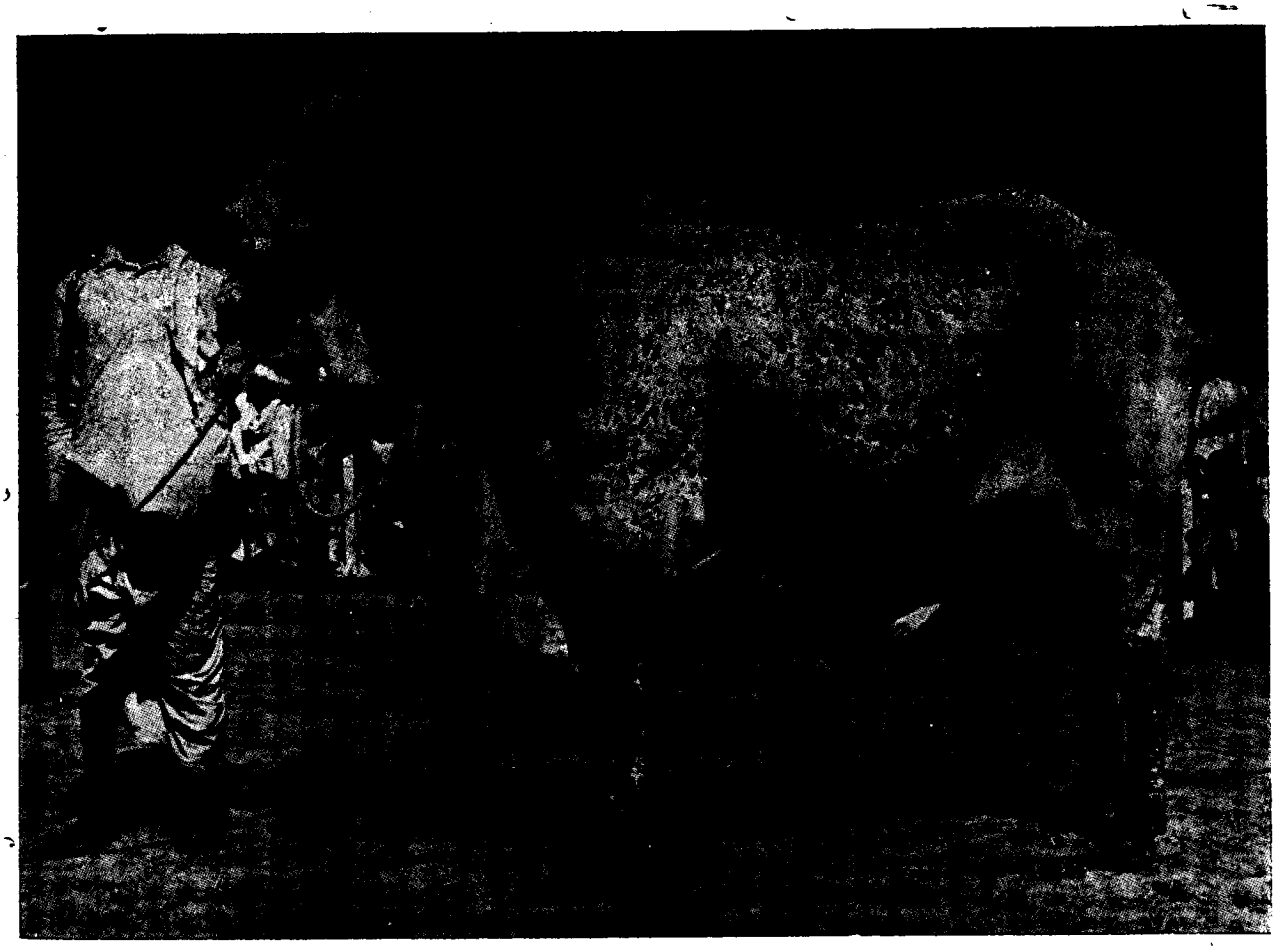

भारतीय नस्ल का देवनी बैल

गोशालाओं के लिए शिक्षित कर्मचारी

गोशालाओं और पिंजरा पोलों में अभी प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव है, जिससे काम में बाधा होती है। परिषद् ने काम सिखाने के लिए जो व्यवस्था की है, वह काफ़ी सन्तोषजनक है। काम सीखने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को परिषद् ४० रुपए वृत्ति देती है और काम सीखने के बाद ५ वर्ष तक नौकर रखने का आश्वासन भी देती है। अब तक ६१ उम्मीदवारों ने काम सीखा है और वे विभिन्न गोशालाओं में काम कर रहे हैं। करनाल की राष्ट्रीय दुग्ध उद्योग गवेषण संस्था में १६ उम्मीदवार काम सीख रहे हैं। परिषद् जो सुविधाएँ देती है, उससे गोशालाएँ अधिक लाभ उठाएँगी।

उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता

परिषद् ने अखिल भारतीय दुग्ध-उत्पादन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता में अभी केवल चार नस्लों की गाएँ और भैंसें शामिल की गई हैं। आगे चल कर और भी नस्लें शामिल की जाएँगी। भविष्य में इन प्रतियोगिताओं में देश के सारे राज्य भी सम्मिलित हुआ करेंगे।

विस्तार कार्यक्रम

दूसरी पंचवर्षीय योजना में पशुपालन तथा दुग्ध-उद्योग के लिए ५६ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। मुख्य ग्राम योजना का भी विस्तार किया जाएगा। प्रत्येक मुख्य ग्राम केन्द्र में ६ एकक होंगे और उसमें ५,००० पशु होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ७५० मुख्य ग्रामों में १२५ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले जाएँगे। ३५,००० चुने हुए बछड़ों के पालने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। इन्हीं बछड़ों में से साँड चुने जाएँगे, जो २५० विस्तार केन्द्रों में रखे जाएँगे। चरागाहों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और हाट-व्यवस्था की भी सुविधाएँ दी जाएँगी।

दूध की सप्लाई

शहरों में दूध पहुँचाने के लिए कुशल संगठन होना बहुत आवश्यक है। दूसरी योजना में ३६ दूध सप्लाई संघ, १२ क्रीम निकालने वाली सहकारी संस्थाएँ और ७ दूध सुखाने वाले यन्त्र स्थापित किए जाएँगे तथा मौजूदा दुग्धशालाओं का विस्तार किया जाएगा। जहाँ सम्भव होगा, वहाँ दुग्ध बस्तियों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामस्तर पर दुग्ध-उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं का निर्माण करने की भी व्यवस्था है। गाँवों से शहरों में दूध ले जा कर बेचने की अच्छी व्यवस्था होगी, जिससे दुग्ध-उत्पादक को अच्छे दाम मिलेंगे और वह अपने पशुओं का सुधार कर सकेगा।

जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से गाय की ठीक से देखभाल करना बहुत ही आवश्यक है। पशुओं के विकास की समस्या बहुत बड़ी है और इसका हल राष्ट्रीय स्तर पर ही सम्भव है। यदि जनता ठीक ढंग से गो सेवा करे, तो हमारी बहुत सी कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो जाएँगी।

गोरक्षा

गोरक्षा मेरे लिए मनुष्य-जाति के विकास में एक सब से अद्‌भुत चमत्कार-पूर्ण घटना है। यह मानव को अपने स्वाभाविक मर्यादा से बाहर ले जाती है। मेरे लिये गाय का अर्थ है समस्त मनुष्यतर सृष्टि। गाय के द्वारा मनुष्य को तमाम प्राणियों के साथ तादात्म्य अनुभव करने का आदेश दिया गया है। गाय को ही देवता क्यों माना गया, यह मेरे लिए स्पष्ट है। भारत में गाय मनुष्य का उत्तम साथी है। वह कामधेनु है। वह न केवल दूध देती है, बल्कि खेती भी उसी के कारण सम्भव है। गाय मूर्तिमंत करुणामयी कविता है। इस नम्र और निरीह पशु की आंखों से करुणा टपकती है। भारत के करोड़ों लोगों की वह माता है। गोरक्षा का अर्थ है भगवान् की समस्त मूक सृष्टि की रक्षा।

—गान्धी जी

एक स्वस्थ गाय

टेलर रिपोर्ट

रघुवीर सहाय

भारत के गाँवों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चल रहा है। उसके बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। अब इस कार्यक्रम को शुरू हुए चार वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम का विस्तृत अध्ययन किया है, उनकी राय बहुत कुछ प्रामाणिक मानी जा सकती है।

एक ऐसी ही प्रामाणिक रिपोर्ट है "भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आलोचनात्मक विश्लेषण" (ए क्रिटिकल एनेलिसिस आफ इण्डियन कम्युनिटी डैवेलपमेंट प्रोग्राम)। इसके लेखक हैं श्री कार्ल सी० टेलर जो फोर्ड फाउण्डेशन में सामुदायिक विकास के सलाहकार हैं। निस्संदेह यह रिपोर्ट गवेषणा पूर्ण तथ्यों से भरपूर है और जो लोग इस महत्वपूर्ण विषय में रुचि रखते हैं, उनके लिए इसमें काफी विचारपूर्ण सामग्री है।

कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए श्री टेलर ने इन बातों पर विशेष बल दिया है: (१) स्थानीय जनता के दल संगठित करना, (२) स्थानीय जनता में से ही नेता तैयार करना और (३) ऐसे ग्राम समुदायों को संगठित करना जो उत्तरदायित्व वहन कर काम करने को तैयार हों।

पर क्या व्यवहार में भी ऐसा होता है? प्रायः सभी जगह गाँववाले दलबन्दी का शिकार हैं। यदि उनके कोई संगठित दल आदि हैं, तो वे जाति के आधार पर ही हैं। ग्राम के हित के लिए सामूहिक या सामुदायिक रूप में कार्य करना केवल एक आदर्श ही समझा जाता है, उस पर अमल न के बराबर किया जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में डा० टेलर द्वारा परिकल्पित नेता तो शायद ही कहीं होगा। उत्तरदायी और काम करने के इच्छुक ग्राम समुदायों को संगठित और प्रेरित करने का काम भी शायद ही कहीं शुरू किया गया हो।

डा० टेलर ने यह बिलकुल ठीक ही कहा है कि ग्राम सेवक दलनेता की जगह नहीं ले सकता। पर यदि वह सेवाभाव से काम करे और उसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता में विश्वास हो, तो वह एक ऐसा दल नेता बनने में निश्चित रूप से सफल हो सकता है, जो अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निभा सकेगा। यह कोई सरल कार्य नहीं है, पर गाँवों की भलाई के लिए ऐसा प्रयोग करना वांछनीय ही है।

साधारणतया गाँववाले सामूहिक विचार या कार्य में तब तक भाग नहीं लेते जब तक बाहर से कोई ऊँचा अफसर या कोई महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता न आए अथवा उसमें उनकी पसन्द की कोई बात न हो। यही कारण है कि गाँव सभाएँ और उनकी प्रबन्ध-कारिणी समितियाँ ठीक तरह काम नहीं कर पातीं। अधिकतर काम पंचायत के सेक्रेटरी (मन्त्री) द्वारा बे मन से किया जाता है। ग्राम सेवकों और ग्राम विकास-कार्य से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों को जनता में इन कार्यों के प्रति रुचि और आकर्षण पैदा करने में सक्षम होना चाहिए। जब गाँववालों के दिल में यह विश्वास जम जाएगा कि ग्राम सेवक उनके भले के लिए ही काम करते हैं, तो वे अवश्य ही इन कार्यों में भाग लेने लगेंगे।

"दल नेता" शब्द अस्पष्ट-सा है। इसलिए दल नेता ढूँढ़ने से यह कहीं अच्छा रहेगा कि सेवा भाव वाले कार्यकर्त्ता चुन लिए जाएँ, जो गाँव के सामान्य विकास कार्य को आगे बढ़ा सकें तथा गाँववालों को समझा सकें। फिर भले ही उन्हें आधुनिक शिक्षा न मिली हो या वे शहरों और कस्बों के सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं जैसे न हों। यदि हर गाँव में एक कार्यकर्त्ता न मिले तो कुछेक गाँवों में से तो चुन ही लिए जाएँ। महत्व की बात इतनी है कि वह कार्यकर्त्ता कैसा आदमी है और ग्राम सेवक या दूसरे अधिकारी किसे चुनते हैं।

भारत के गाँवों का दौरा करने के बाद डा० टेलर ने अपनी रिपोर्ट में एक जगह और कहा—"मुझे यह विश्वास करना पड़ता है कि अधिक अफसरों तथा अधिक सरकारी साधनों एवं प्रचार के बावजूद भी सामुदायिक विकास योजना और विस्तार सेवाओं के उद्देश्य अर्थात् सामूहिक भावना के पनपने को अधिक लाभ नहीं पहुँचा। ग्राम सेवकों से लम्बी बातचीत करने और प्रशिक्षण केन्द्रों में जानकारी प्राप्त करने के बाद मुझे यह विश्वास हो गया है कि उनको मिल कर और सामूहिक रूप से काम करना कभी सिखाया ही नहीं गया है। न वे गाँववालों में से नेताओं का चुनाव कर सकते हैं और न ही उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। दर-असल वे खुद ही नेता बन बैठते हैं।"

पर इस बात का सारा दोष आप ग्राम सेवक पर ही नहीं थोप सकते। ग्राम सेवक तो प्रशासन की सब से निचली सीढ़ी है। ज़िले में ही उसके ऊपर सहायक योजना अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, ज़िला योजना अधिकारी और ज़िलाधीश आदि अफ़सर होते हैं। कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर

करती है कि उनमें से प्रत्येक को कैसा प्रशिक्षण मिला है और जो काम उन्हें सौंपा गया है, उसे वे कितनी अच्छी तरह समझते हैं तथा उसे किस प्रकार करते हैं।

वास्तव में सभी विकास-कार्य प्रायः नए सिरे से ही शुरू करने पड़ते हैं। आपको और आपके संगठन को गाँववालों में विश्वास पैदा करना होगा। आपको उन्हें समझाना होगा कि आपके बताए कार्यक्रम पर चलने में उनका अपना ही भला है। आपको उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना होगा कि वे गाँव के भले के लिए मिल कर काम करें। यदि आज उनमें मिल कर काम करने की भावना नहीं है, तो इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा सकता। सदियों तक वे ऐसे वातावरण में पले हैं, जिनमें यह भावना पनप ही नहीं सकती थी। इसलिए जो लोग आजकल यह काम कर रहे हैं, या जो भविष्य में करेंगे, उनमें असीम धैर्य होना चाहिए।

हमें घुमा-फिरा कर बात नहीं करनी चाहिए। जैसी स्थिति है, उसे वैसा ही समझते हुए उसमें यथासम्भव सुधार करना चाहिए। सदियों तक उत्पीड़ित रहने तथा शिक्षा और सामाजिक सुविधाओं की कमी के कारण कई बार ऐसा होता है कि जो योजनाएँ अत्यन्त ईमानदारी से उनके भले के लिए बनाई जाती हैं, उनके भी आशाजनक परिणाम नहीं निकलते।

उदाहरण के तौर पर पंचायतों को लीजिए। पंचायतों की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि गाँववालों को तबाह करनेवाली मुकदमेबाज़ी को कम से कम किया जाए। न केवल इन मुकदमों में धन का अपव्यय होता है, बल्कि समय भी बहुत खराब होता है और एक दूसरे के प्रति कटुता बढ़ती जाती है। पर क्या अब इन झगड़ों का फैसला गाँव में ही करने से आशाजनक परिणाम निकलते हैं? वास्तव में स्थिति तो यह है कि कम अधिकारों के बावजूद भी पंचायतों का रुझान इस ओर है कि ये छोटी-मोटी अदालतें ही लगें और उनमें भी बड़ी अदालतों की सब बुराइयाँ विद्यमान हों! विविध राज्यों में भी पंचायत सम्बन्धी कानून बनाने वालों की यह मंशा शायद कभी नहीं थी। पर परिणाम आशा के विपरीत निकले। चाहे यह स्थिति थोड़े ही समय तक रहे, पर इस ओर से हम अपनी आँखें नहीं मूँद सकते।

बहुत कुछ सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में कैसा काम करते हैं। डा० टेलर के अनुसार—"सारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में खण्ड विकास अधिकारी का सब से अधिक महत्व है। उनका चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे काफी कार्यकुशल हों और इसीलिए उन्हें सबसे अधिक प्रशिक्षण दिया जाए।" जहाँ कहीं खण्ड विकास अधिकारियों तथा अन्य ऊँचे अफ़सरों ने उचित योग्यता और क्षमता प्रदर्शित की और जहाँ उन्होंने लगन, विश्वास और ईमानदारी से काम किया, वहाँ परिणाम भी अत्यन्त सन्तोषजनक निकले हैं।

सलाहकार समितियाँ विकास विभाग के अधिकारियों और जनता के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए बनाई गई हैं, पर अब तक उनका पूरा उपयोग नहीं किया गया। इस बात का दोष आप जनता को दे सकते हैं कि उसने पूरा सहयोग नहीं दिया और शायद यह बात सच भी हो। पर सवाल यह है कि पहले किसको अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए—जनता को या विकास अधिकारियों को। इस सम्बन्ध में डा० टेलर की राय का विशेष महत्व है। उनके शब्दों में—"भारत में जो कुछ मैंने देखा, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अफसरों के इस दावे में कि वे कार्यक्रम को लोकतन्त्री बनाने के लिए जनता का परामर्श चाहते हैं, सन्देह की काफ़ी गुंजाइश है। इन समितियों की बैठकों में गैर-सरकारी सदस्यों की उपस्थिति कम रहने का एक कारण यह भी है कि **कुछ सरकारी अधिकारी अपने कार्यक्रमों को बिना 'बाहरी हस्तक्षेप' के चलाना अधिक पसन्द करते हैं।**" पर यह बात भी उतनी ही जरूरी है कि सलाहकार समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों का चुनाव एक निर्धारित नियम के अनुसार किया जाए। दूसरी योग्यताओं के साथ-साथ उनमें जनता की सेवा करने की उदात्त भावना भी होनी चाहिए। अपना उल्लू सीधा करने वाले व्यक्ति यह कर्त्तव्य पूरा नहीं कर सकते। इस लिए जो लोग गैर-सरकारी सदस्यों का चुनाव करते हैं, उन पर बहुत भारी ज़िम्मेवारी आ जाती है।

ज़िले के कर्मचारियों के काम के बारे में डा० टेलर की राय यह है—"विकास कार्यक्रम में उनका काम सब से कच्चा है। उनकी संख्या अपर्याप्त है, कुछ का टेक्निकल ज्ञान अपूर्ण है।... मुझे यह विश्वास है कि यदि ज़िला दफ्तरों में राज्य के सब विकास विभागों के उच्च कोटि के टेक्निकल कर्मचारी रखे जाएँ, तो खण्डों और गाँवों को मिलनेवाली टेक्निकल सहायता का पहले से बहुत अधिक उपयोग हो सकेगा और उसमें समन्वय भी स्थापित हो सकेगा।"

यह एक मानी हुई बात है टेक्निकल कर्मचारियों की कमी के कारण कई जगह काम को बहुत नुकसान पहुँचा है। कई बार रुपया भी था और योजना भी तैयार थी, पर उसे इसलिए पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि वह काम अलग-अलग विभागीय अधिकारियों को सौंप दिया गया जिनके पास या तो समय नहीं था या जिनकी काम करने की मर्ज़ी नहीं थी।

अब वह समय आ गया है जब न केवल अब तक किए गए काम का उचित लेखा-जोखा किया जाए बल्कि गाँव से ले कर सामुदायिक मन्त्रालय में तैयार किए गए योजना के विभिन्न भागों का विभिन्न स्तरों पर भी मूल्यांकन किया जाए। जहाँ कहीं यह पता लगे कि काम सन्तोषप्रद नहीं हो रहा या धीमी चाल से हो रहा है, वहाँ या तो उसमें परिवर्तन किया जा या उसको सुधारा जाए अथवा उसे द्रुतगति से पूरा किया जाए।

ग्राम सेवकों की जिम्मेदारियाँ

सावित्री निगम

ग्रामसे वकों को भोले-भाले ग्रामीण भाई अनेक नामों से पुकारते हैं। 'मास्टर साहब', 'खेती वाले बाबू', 'खाद वाले साहब', आदि अनेक संज्ञाएँ उन्हें मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, गाँव वाले यह समझने लगते हैं कि ग्राम सेवक उनकी सारी समस्याएँ सुलझाने का उपाय अवश्य ही बता सकते हैं। ग्राम सेवक को जहाँ यथोचित और कभी-कभी आवश्यकता से अधिक श्रद्धा, विश्वास और सम्मान मिलता है, वहाँ उनकी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं। खेती-बाड़ी, समाज शिक्षा, पशु-पालन और ग्राम सेवा के अतिरिक्त उन्हें आरोग्य शास्त्र और प्रारम्भिक चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। हाथ जोड़ कर, आँखों में आँसू भर कर, करुणाजनक मुद्रा में गाँववाले दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं—"बाबू जी! ज़रा हमारे लल्लू को देख लीजिए। तीन दिन से सिर नहीं उठाया।" ग्राम सेवक का उस समय यह कहना कि मैं डाक्टर नहीं हूँ, मैं देख कर क्या करूँ, उचित प्रतीत नहीं होता। उसके लाख समझाने पर भी गाँववाले यह मानने को तैयार नहीं होते कि शहर में इतने दिन रहने और शिक्षा-दीक्षा लेने के पश्चात् यह बीमारी के बारे में कुछ न बता सकेंगे। और उनकी यह गलतफ़हमी दूर करने का प्रयास हृदय-हीनता, उपेक्षा और कठोरता समझ लिया जाता है। कभी-कभी ऐसी किसी घटना के कारण सारे ग्रामवासी ग्राम सेवक को हृदय-हीन बता कर सहयोग देने से इंकार कर देते हैं। ऐसे मौकों पर ग्राम सेवक को बड़ी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।

ऐसे अवसरों पर ग्राम सेवकों को चाहिए कि रोगी के घर पहुँच कर साधारण आरोग्य और स्वच्छता की बातें बताएँ। बच्चा कब से बीमार है? बुखार सर्दी लग कर हुआ या यों ही? कब्ज़ तो नहीं है? पानी उबला हुआ देना चाहिए। दूध के सिवाय तब तक भोजन न दें जब तक डाक्टर न बताए, इत्यादि गाँव में फल मिलना कठिन है। इसलिए गाजर और टमाटर का सूप देना चाहिए। पूरी पूछताँछ और परामर्श से परिवार की एक तो तसल्ली हो जाती है और भय दूर हो जाता है। दूसरे इस प्रारम्भिक सहायता के कारण रोग भी बढ़ने से रुक जाता है। बीमारी की पूरी हिस्ट्री लिख कर जब ग्राम सेवक कहता है—"भैरो भैय्या, यह पर्चा लेकर ख़ैराती अस्पताल ले जाओ। यदि डाक्टर साथ आएँ, तो उन्हें लेते आना और अगर साथ न आएँ तो फिकर न करना। मेरे पर्चे का जवाब ज़रूर लेते आना। बस घबराओ नहीं, देखो दो दिन में लल्लू ठीक होता है। मामूली-सा बुखार है। तुम जाओ, मैं चाची से बातचीत करता हूँ।" और फिर चाची से कहता है—"चाची यह धुआँ बीमार के लिए अच्छा नहीं होता। बकरी को बाहर बाँध दो। बीमार के पास सफ़ाई रखना बहुत ज़रूरी है। खली की बदबूदार हांडी पिछवाड़े रखवा करो, इसे रोज़ धोना भी आवश्यक है। नीम की डाल ले कर लल्लू के मुँह की मक्खियाँ उड़ाती जाओ। मक्खियाँ तरह-तरह की बीमारियाँ फैलाती हैं। जब बीमारी से शरीर कमज़ोर हो जाता है तो नई-नई बीमारियों के कीड़े दूसरे रोग उत्पन्न कर देते हैं। अगर दूध पीने से उलटियाँ आती हैं तो लौकी, पालक या गाजर को उबाल कर रस निकाल लो। इस रस में भी बहुत से पोषक तत्व होते हैं—सेर भर पालक धो कर अगर आध सेर पानी में उबाल लिया जाए, तो बिलकुल उसी ताकत और पोषक तत्वों वाला पालक का रस बन जाता है जैसा कि दूध। प्रकृति माँ गरीब अमीर सब को ही स्वस्थ रखने की व्यवस्था किए हुए है; भले ही अज्ञान वश हम उसे जान न पाएँ।"

और चाची कहने लगती है—"डाक्टर साहब, दूध नहीं हज़म होता तो यह बादी साग और यह गाय भैंस का चारा गाजर, जो इतनी कैड़ी होती है, लल्लू को कैसे हज़म होगी?"

गाँव हो या शहर, आहार शास्त्र की अनभिज्ञता एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई है। अधिकांश लोग बहुत से अत्यन्त पोषक और आवश्यक भोज्य पदार्थों को खाना तो दूर रहा, उनकी बारे में ऐसी विचित्र धारणाएँ बना लेते हैं कि उन्हें बीमारी की कौन कहे, तन्दुरुस्ती में भी छूते तक नहीं। एक ओर अत्यन्त पोषक, स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ बहुतायत से पड़े रहते हैं, दूसरी ओर घी, दूध जैसे महँगे पदार्थों को उपलब्ध करने की असमर्थता के कारण क्षोभ और असन्तोष बढ़ता रहता है। जब शरीर को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है और काफी भोजन नहीं मिलता तो शरीर दुर्बल और क्षीण होता जाता है। ऐसी स्थिति में ग्राम सेवक की यह ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वह गाँव के भीतर ही उत्पन्न होने वाली अनेक वनस्पतियों के उचित उपयोग की जानकारी हासिल करे और आहार सम्बन्धी भ्रान्त धारणाओं को दूर करते हुए लोगों की जानकारी बढ़ाए। सर्दियों में बहुतायत से पाई जाने वाली गाजर को ही ले लीजिए। शायद

ही कोई ऐसा गाँव हो जहाँ गाजर न उगाई जाती हो। पर उस के दो ही उपयोग होते हैं—दूध बढ़ाने के लिए गाय-भैंस को देना अथवा किसी पर्व-त्यौहार में थोड़ा-सा हलुआ बना लेना। हलवे में गाजर को भून कर उसकी बिलकुल ही जान निकाल ली जाती है। हाँ ढोरों को अवश्य ही पूरा-पूरा लाभ होता है। जहाँ गाजर ढोरों को पूरा लाभ पहुँचाती है, वहाँ यदि इसका उचित प्रयोग किया जाए तो आहार सन्तुलन की दृष्टि से भी विशेष उपयोगी है। स्वास्थ्य तो यह बनाती ही है साथ ही यदि हम इसे आज की सर्वश्रेष्ठ लौह प्रदायिनी औषधि मान लें, तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसमें विटामिन ए०, बी०, सी०, लोह, गन्धक तथा फासफोरस काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि गाजर में सभी पोषक तथा आवश्यक तत्व होते हैं। जितने कि एक मनुष्य को सदा स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं यदि हम इस दृष्टि से देखें, तो इसमें ८६ प्रति शत जल, ·०६ प्रति शत प्रोटीन, १०·७ प्रति शत कार्बोहाइड्रेट ·०८ प्रति शत चूना, ०·०३ प्रति शत फासफोरस, और १·१ प्रति शत खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन बी० और लोहा भी मिलता है। इसमें केरोटीन नामक एक और तत्व भी होता है जो हृदय के लिए विशेष गुणकारी है। अतः शारीरिक विकास और वृद्धि के लिए गाजर का उपयोग करना सभी के लिए उपादेय है। बीमारियों के हमलों से रक्षा करना, रोगों से सुरक्षित रखना गाजर का अपना गुण है। फिर गाजर के पत्तों की भाजी तो रक्त शुद्ध करने का अत्युत्तम साधन है।

गाजर में चाहे प्रोटीन की मात्रा अति कम है, फिर भी यह पूर्ण आहार कहलाने के योग्य है। इतना ही नहीं, विभिन्न रोगों में भी गाजर रोग-निवारण का कार्य करती है। नेत्र और कान के रोगों के अतिरिक्त नासूर सरीखा भयानक रोग इसका सेवन करते रहने से हो ही नहीं सकता। गाजर शारीरिक सौन्दर्य वृद्धि करने व गुर्दों की जलन मिटाने में भी अद्वितीय है। पेट व आंतों के घाव, जिगर और गुर्दे के रोग, पेशाब का पीला व विकृत होना आदि रोगों में गाजर रामबाण औषधि-सा काम करती है। गाजर का रस इनके लिए गुणकारी है। इसके अतिरिक्त चर्म रोग व खुजली आदि में १५-२० दिन केवल गाजर खाने से लाभ हो जाता है। गाजर का रस यदि किसी को पीने में स्वाद न देता हो, तो उसे पका कर गुड़ डाल कर स्वादु बनाया जा सकता है। घावों पर गाजर का गूदा यदि उबाल कर लगाया जाए, तो कुछ ही मिनटों में शान्ति मिलने लगती है। गाजर के सेवन से शरीर सुडौल बनता है।

कई बार आँतों में विषैले पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं। इनके सड़ने से भयंकर कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं। परन्तु गाजर का सेवन करने से सड़न नष्ट हो जाती है। बासी की अपेक्षा ताज़ी गाजर में गुण अधिक सुरक्षित रहते हैं। तलने या हलुवा बनाने से तो गाजर का विटामिन सी० नष्ट हो जाता है। सूखी और गाजर के मुरब्बे में ताज़ी गाजर वाले गुण नहीं रह पाते। गाजर से पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए इसे कच्चा खाना अति उपयोगी है। गाजर को हड्डी नहीं खाना चाहिए। रस निकालने के लिए उबालने की अपेक्षा गाजर को कस कर कपड़े से छान लेना कहीं अधिक अच्छा है। यह है अकेली गाजर जिस की उपेक्षा गाँववाले ही नहीं वरन् पढ़े-लिखे लोग भी करते हैं।

यदि हमारे ग्राम सेवक भाई उन भोले भाले ग्रामीण भाइयों को इन वनस्पतियों के गुण बताएँ, खाने व पकाने के ढंग समझाएँ, तो सन्देह नहीं कि ग्रामवासी भी सुखी होंगे और इन समाज सुधारकों को जनता का सहयोग भी प्राप्त होने लगेगा। यह कोई कठिन कार्य नहीं। तनिक से प्रोत्साहन से सब हो सकता है। फिर मौसमी फल तरकारियों के गुण यदि एक बार ग्रामवासियों की समझ में आ जाएँ, तो उन्हें खाने के साथ ही साथ उगाने में भी एक नया उत्साह आने लगेगा। आवश्यकता इस बात की है कि भारतवासी यह समझें कि उनसे अधिक मात्रा में गेहूँ, चावल या अन्न खाने वाली कोई दूसरी जाति या देशवासी नहीं है। फल, सब्ज़ियां, मांस, मछली तथा अण्डे और आंशिक रूप में गेहूँ या चावल खाने वाले लोग अधिक स्वस्थ हृष्ट-पुष्ट और दीर्घजीवी भी होते हैं। इसलिए ग्राम सेवकों को गाँव में गेहूँ बचाओ, सब्ज़ी खाओ आन्दोलन चलाना चाहिए। क्योंकि गाँव के स्वास्थ्य की रक्षा पर ही गाँव का पूर्ण आर्थिक, औद्योगिक और नैतिक विकास अवलम्बित है।

हमारे नये सिक्के

पहली अप्रैल १६५७ से दशमिक प्रणाली के सिक्के चालू हो जाएँगे। नये सिक्कों में रुपये का वर्तमान मूल्य क़ायम रहेगा, परन्तु अब ६४ पैसों के बदले एक रुपये में १०० नये पैसे होंगे।

संशोधित भारतीय-मुद्रा-अधिनियम के अनुसार वर्तमान १ पैसा १$\frac{९}{१६}$ नये पैसों के बराबर है, परन्तु व्यवहार में निकटतम नये पैसे तक हिसाब किया जाएगा। आधा नया पैसा और उससे कम को छोड़ दिया जाएगा और आधे नये पैसे से अधिक को एक पैसा माना जाएगा। यानी वर्तमान एक पैसे के बदले दो नये पैसे मिलेंगे।

बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि दुअन्नी और उससे कम वाले पुराने सिक्कों के बदले नये सिक्कों के लेन-देन में काफ़ी नफ़ा-नुकसान होगा। परन्तु बात ऐसी नहीं है। पुरानों के बदले नये सिक्कों के लेन-देन का हिसाब पूरी रकम के आधार पर किया जाएगा और इस प्रकार औसत नफ़ा-नुकसान बिलकुल नगण्य-सा रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी को १½ आना प्रति वस्तु के हिसाब से एक दर्जन वस्तुएँ खरीदनी हैं और नये पैसों में मूल्य चुकाना है। ऐसे वक्त पहले १½ आने को नये पैसों में बदल कर फिर बारह वस्तुओं के दाम निकाले जाएँ तो वह गलत तरीका होगा। सही तरीका यही है कि पहले सब वस्तुओं का मूल्य पुराने आनों में निकाला जाए। १½ आने प्रति वस्तु के हिसाब से एक दर्जन वस्तुओं का मूल्य हुआ १८ आने यानी १ रुपया और २ आने। रुपये का मूल्य नहीं बदला है; इसलिए १ रुपया वही रहेगा, केवल दो आनों को नये पैसों में बदला जाएगा। परिवर्तन-तालिका में २ आनों के बदले १२ नये पैसे दिए हैं इसलिए कुल १ रुपया और १२ नये पैसे मूल्य चुकाना होगा। इस तरह ११२ नये पैसों के लेन-देन में कुल आधे नये पैसे का फर्क हुआ। यदि किसी को एक सौदे में आधे नये पैसे की हानि हो भी गई, तो वह किसी दूसरे सौदे में पूरी हो सकती है।

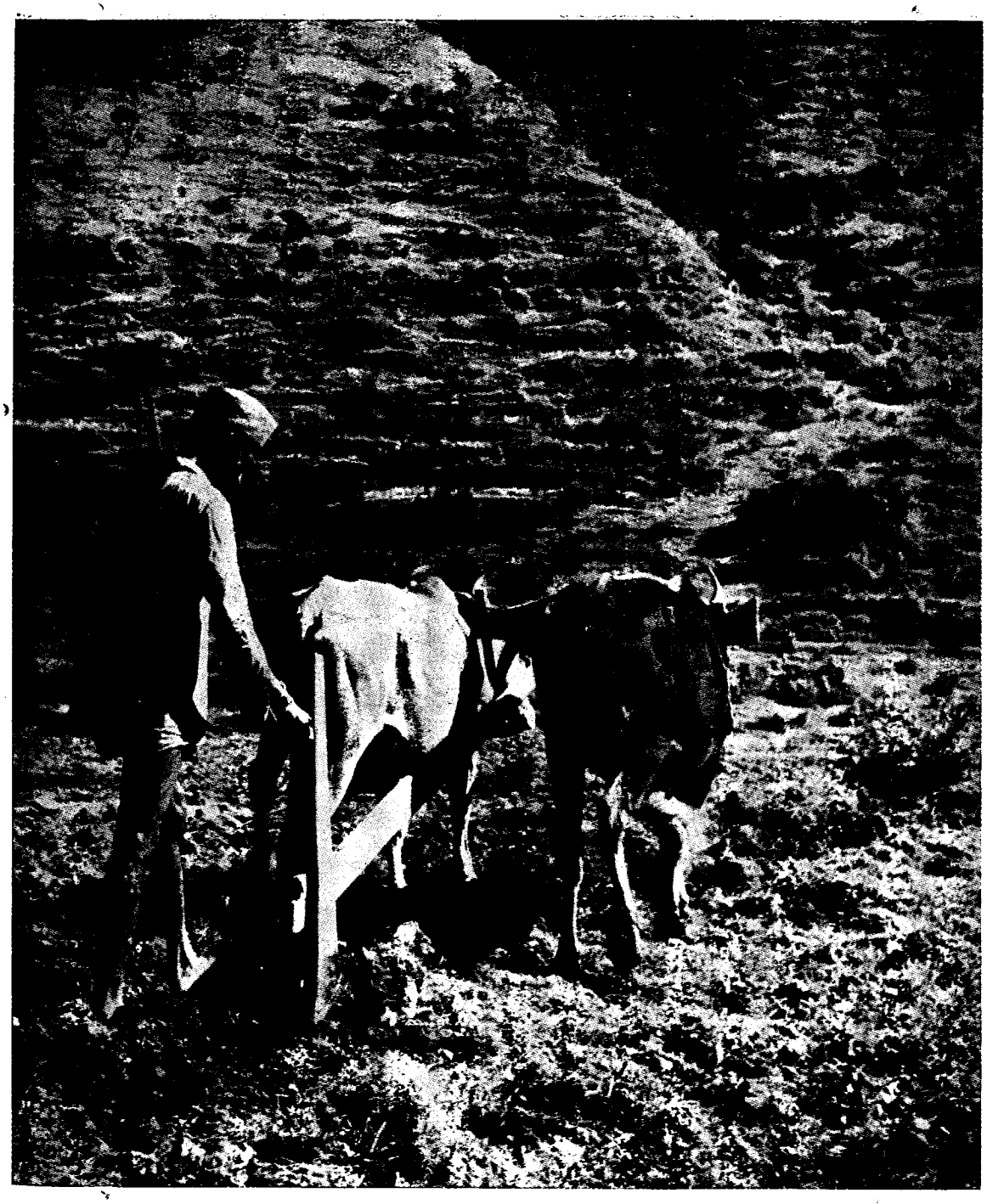

पहाड़ पर खेती

तमक के पहाड़

जल सिंचन

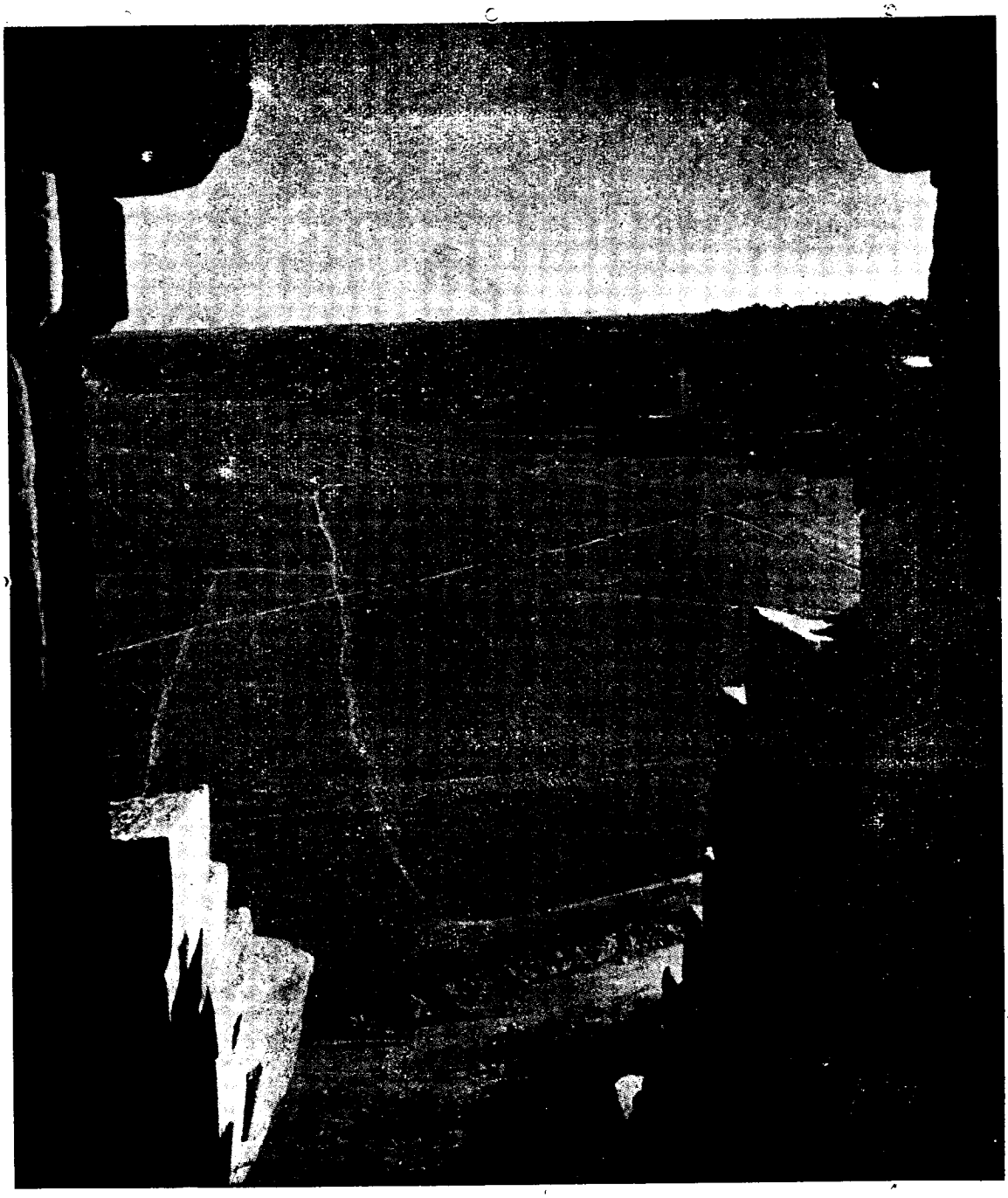

यह धरती सोना उगलेगी !

नूरपुर सामुदायिक विकास खण्ड की यात्रा

बरकत नारायण

[सामुदायिक विकास मन्त्रालय के स्वास्थ्य सलाहकार लैफ्टी० कर्नल बरकत नारायण अक्टूबर १९५६ में कांगड़ा जिले के सामुदायिक विकास क्षेत्र के दौरे पर गए थे। स्वास्थ्य मन्त्रालय के सचिव श्री वी० के० वी० पिल्ले और जिला चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य) भी उनके साथ थे। दौरे का वर्णन उन्हीं के शब्दों में पढ़िए—सम्पादक]

नूरपुर सामुदायिक विकास खण्ड, पठानकोट से १९ मील दूर है। यह खण्ड अक्टूबर १९५३ में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के रूप में शुरू हुआ था। डेढ़ साल बाद, अप्रैल १९५५ में इसे सामुदायिक विकास खण्ड में बदल दिया गया। इस खण्ड का क्षेत्रफल ३४०.४७ वर्गमील है। इसके अन्तर्गत ९१ गाँव हैं जिनकी आबादी लगभग ५१,००० है।

नूरपुर के खण्ड विकास अधिकारी श्री बिहारीलाल हमें गंगेट, नूरपुर और कोटला गाँव दिखाने ले गए। हमने वहाँ अनेक विकास-कार्यों का निरीक्षण किया।

कर्मचारी

क्लर्कों आदि को छोड़कर, खण्ड विकास अधिकारी की सहायतार्थ यहाँ निम्न कर्मचारी हैं—

समाज शिक्षा संगठक	२ (एक महिला प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है)
सफ़ाई का दरोगा	१
ओवरसियर	१
विस्तार अधिकारी	१
ग्राम सेवक	१२ (एक ग्राम सेविका सहित)

नूरपुर खण्ड एक कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यक्षेत्र में आता है, इसलिए वह भी खण्ड में काम कर रहा है, यद्यपि उसे खण्ड की तरफ़ से वेतन नहीं दिया जाता। अभी तक खण्ड में डाक्टर एक भी नहीं है। ग्राम सेवक सब प्रशिक्षित हैं।

चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएँ

अभी तक यहाँ कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किया गया। औषधालय आठ हैं जिनमें से पाँच एलोपैथिक हैं और तीन आयुर्वेदिक। दो और आयुर्वेदिक औषधालय और ४ एम० सी० एच० केन्द्र खोलने का विचार है। नूरपुर गाँव में एक एम० सी० एच० केन्द्र चल रहा है। इन केन्द्रों के लिए साज-सामान और दवाइयाँ आदि खरीदी जा चुकी हैं। पंजाब के स्वास्थ्य निर्देशक से प्रार्थना की गई है कि एम० सी० एच० कर्मचारी नियुक्त किए जाएँ ताकि ये केन्द्र जल्दी से जल्दी अपना काम शुरू कर दें। गाँववालों ने इनके रहने की व्यवस्था करने का वचन दिया है।

गंगेट में देहाती औषधालय

हमने नूरपुर खण्ड के गंगेट गाँव में देहाती औषधालय भी देखा। यहाँ पर चार रोगी-शय्याएँ भी हैं। हमने वहाँ देखा कि रोगियों के कमरे में ही खाना पकाया जा रहा था।

साज-सामान और दवाओं आदि के लिए ५०० रुपए की व्यवस्था की गई है। रोज़मर्रा आनेवाले रोगियों से नए टिकट का एक पैसा लिया जाता है।

प्रत्येक ग्राम सेवक को प्राथमिक चिकित्सा के सामान की पेटी दी गई है। ग्राम सेवक जिन मरीजों की चिकित्सा करते हैं, वे उनका लेखा-जोखा भी रखते हैं। ग्राम सेवकों को पशुओं की प्राथमिक चिकित्सा के सामान की पेटियाँ भी दी गई हैं।

कुछ गाँववालों ने शिकायत की कि औषधालय के डाक्टर पिछले ६-७ महीनों से नियमित रूप से नहीं आ रहे।

जहाँ तक गलियों को पक्का करने का और सामान्य सफ़ाई का ताल्लुक है, वहाँ तक इस गाँव ने काफ़ी प्रगति की है। वहाँ हमने ऐसे शौचालय देखे जो हर समय साफ़-सुथरे रहते हैं। पर चार टट्टियाँ बहुत कम हैं। यहाँ पर हमने पीने के पानी का कुआँ भी देखा। इसकी मेंढ़ काफ़ी ऊँची कर दी गई है, पर कोई चरखी आदि नहीं लगी हुई। कूड़ा-करकट निकालने का भी ठीक प्रबन्ध नहीं है। गाँव का स्कूल बहुत अच्छा है, पर वहाँ भी स्वच्छ शौचालय और पेशाबघर नहीं हैं।

पानी और सफ़ाई की व्यवस्था

इस क्षेत्र में पानी की बड़ी समस्या है। पानी प्रायः कुओं, बावलियों और तालाबों से लिया जाता है। खण्ड के बजट में इस काम के लिए १,१९,००० रुपए की व्यवस्था है। इसमें से कोटला गाँव में नल लगाने, तीन नए कुएँ बनवाने और

३६ पुराने कुओं, २३ बावलियाँ और १८ तालाबों की मरम्मत पर ५१,२५२ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। बावलियों के पानी में खराब चीज़ें न गिरें, इस उद्देश्य से उन्हें ढक दिया गया है और उनमें से नल द्वारा पानी निकाला जाता है। ऐसा करने में प्रति बावली ८०० रुपए खर्च आया है।

स्वच्छ शौचालय बनाने के सम्बन्ध में प्रगति अभी धीमी है। कुछ थोड़े से गाँवों में एक-दो शौचालय बनाए गए हैं जो ज़रूरत को देखते हुए बहुत कम हैं। कुछ गाँवों में धुएँ रहित चूल्हे और पक्की गलियाँ बनाई गई हैं। जिन गाँवों में पंचायतें सक्रिय हैं और सहायता दे रही हैं, वहाँ ये कार्यक्रम अच्छी तरह चल रहे हैं।

बजट

३० सितम्बर, १९५६ को इस खण्ड का बजट नीचे दी गई तालिका के अनुसार था।

इस तरह सिवाय पहली मद के अन्य सब मदों में, उचित रकम व्यय नहीं की गई। नवीं मद में कुछ भी व्यय न होने का कारण यह बताया गया इस मद के लिए स्वीकृत १४,००० रुपयों में से १२,००० रुपए खुर्दबीन (माइक्रोस्कोप) और एक्स-रे आदि उपकरण खरीदने के लिए हैं और इन के लिए पंजाब के स्वास्थ्य सेवा निर्देशक से प्रार्थना की गई है।

सिफारिशें

खण्ड के बारे में हमारी सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं :—

१. **गंगेट स्थित औषधालय में डाक्टर के प्रायः गैरहाज़िर रहने के बारे में तुरन्त कोई कदम उठाया जाए।**

२. **रोगियों के रिश्तेदारों को वार्ड में भोजन पकाने की मनाही होनी चाहिए।**

३. **गंगेट के स्कूल में स्वच्छ शौचालय और पेशाबघर की व्यवस्था होनी चाहिए। अध्यापकों को चाहिए कि वे विद्यार्थियों को जहाँ-तहाँ मलमूत्र करने की हानियाँ समझाएँ। विद्यार्थियों को स्वस्थ रहने के नियम बताए जाने चाहिएँ।**

४. **पीने के पानी के कुओं को स्वच्छ कुओं में परिणत किया जाए। बावलियों के पानी का प्रति वर्ष निरीक्षण किया जाए।**

५. **प्रसाविकाओं की भर्ती करने और उन्हें नियुक्त करने सम्बन्ध में शीघ्र कदम उठाए जाएँ।**

६ **ग्राम सेवकों के पास प्राथमिक चिकित्सा की जो पेटियाँ रहती हैं, उनकी समय-समय पर देखभाल की जाए और जो दवाइयाँ आदि कम पड़ गई हों, उन्हें पूरा किया जाए।**

७. **कुछ कारणों से इस खण्ड में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित नहीं किया जा सका। पर उसकी उपयोगिता असंदिग्ध है। इस बारे में ध्यानपूर्वक विचार करना जरूरी है।**

८. **चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जिस धीमी गति से खर्च किया जा रहा है, उसकी जाँच की जाए।**

★

खण्ड का बजट

(रुपयों में)

	बजट में व्यवस्था	३० सितम्बर १९५६ तक हुआ व्यय	शेष
१. पानी के नल	६,०००-०-०	५,७५७- ३-३	२४२-१२-९
२. नए कुएँ	३३,०००-०-०	१४,०२९- ६-३	१८,९७०- ९-९
३. वर्तमान कुओं की मरम्मत	१५,०००-०-०	३,८००- ०-०	११,२००- ०-०
४. वर्तमान बावलियों की मरम्मत	३२,०००-०-०	११,५५५- ८-३	२०,४४४- ७-९
५. तालाबों की मरम्मत	३३,०००-०-०	१६,११०- २-६	१६,८८९-१३-६
६. नालियों और गलियों को पक्का करना	१२,०००-०-०	६,९८६-१५-३	५,०१३- ०-९
७. सफ़ाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य	९,०००-०-०	७,९९६-१५-६	२,००३- ०-६
८. औषधालय और प्राथमिक चिकित्सा के सामान की पेटियाँ	६,०००-०-०	९९७- १-०	५,००२-१५-०
९. वर्तमान अस्पतालों और औषधालयों को अनुदान	१४,०००-०-०	——	१४,०००- ०-०
१० एम० सी० एच० केन्द्र	३,०००-०-०	६००- ०-०	२,४००- ०-०
योग	१,६३,०००-०-०	६७,८३३- ४-०	९६,१६६-१२-०

ग्रामीण नेताओं का प्रशिक्षण शिविर

के० साहू

ग्रामीण नेताओं को प्रशिक्षण देने के लिए सामुदायिक विकास खण्ड बरगढ़ के तत्वावधान में गाइसमा गाँव में एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। बरगढ़ से १०मील दूर स्थित गाइसमा एक प्रगतिशील गाँव है। गाँव के मन्दिर में ५ दिन तक गोष्ठी चलती रही जिसमें विविध विषयों पर विचार किया गया। खण्ड के १६ गाँवों के ३३ प्रतिनिधियों ने इस शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसमें भाग लेने वाले प्रायः सभी लोग अपने-अपने गाँवों के प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनमें कुछ युवा थे, कुछ प्रौढ़ और कुछ वृद्ध। उनकी अवस्था २० और ५० वर्ष के बीच थी। केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए चुना गया था जो प्रगतिशील विचारों के थे, उत्साह से परिपूर्ण थे और ग्राम-सुधार के इच्छुक थे।

कार्यक्रम के अनुसार एक दिन शाम को सारे प्रशिक्षणार्थी शिविर-स्थान पर जमा हुए और अगले दिन ब्रह्ममुहूर्त में प्रभातफेरी के साथ शिविर का श्रीगणेश हुआ। गाँव की गलियों का चक्कर लगाने के बाद प्रशिक्षणार्थी मन्दिर वापस लौट आए और झण्डा लहराने की कार्रवाई 'जन-गण-मन' के साथ सम्पन्न हुई। सवेरे का मुख्य कार्यक्रम था श्रमदान द्वारा गाँव की गलियाँ और सड़कें साफ़ करना तथा पीने के पानी के कुएँ खोदना। 'मगन चूल्हे' बनाने और मलमूत्र-गोबर आदि से खाद तैयार करने का प्रदर्शन किया गया और उनकी उपयोगिता समझाई गई।

पहले दिन शिविर में कृषि और अनाज गोला सहकारी समिति के बारे में विचार-विमर्श किया गया। यह विचार-विमर्श अत्यन्त रोचक और जानकारी बढ़ाने वाला सिद्ध हुआ। जापानी तरीके से खेती करने पर ज़ोर दिया गया और शिविर में भाग लेने वालों को उसका व्यावहारिक पहलू समझाया गया। इस विचार-विमर्श से यह भी पता चला कि पौधों और फसल की बीमारियों पर उसी समय ध्यान नहीं दिया जाता जब तुरन्त ही ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

कृषि गवेषणा कर्मचारियों ने सुझाया कि अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं—भूमि को खेती के लिए तैयार करना, ठीक तरह से खाद देना, अच्छे बीजों को छाँटना और उन्हें रोगमुक्त करना, उचित समय पर कलमें लगाना, धरती की गहरी रोपई करना, सिंचाई का उचित प्रबन्ध करना आदि। गाँववाले खेती के नए तरीकों और मशीनों आदि का प्रयोग करें, इसके लिए यह आवश्यक समझा गया कि प्रायः सभी गाँवों में भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों पर खेती के नए तरीकों का प्रदर्शन किया जाए। पानी की कमी और सिंचाई की सुविधाओं के न होने के कारण किसानों में पैदावार बढ़ाने के प्रति कोई रुचि नहीं रही थी। पर हीराकुड बाँध बन जाने से और इसकी नहरों का जाल फैल जाने से उनमें नई आशा का संचार हुआ है। इसके बाद पंचायतों के तत्वावधान में चलने वाली अनाज-गोला सहकारी समितियों पर विचार-विमर्श शुरू हुआ। विभिन्न पहलुओं से उनके उद्देश्यों का विश्लेषण किया गया। इन समितियों के बहुत से लाभ हैं। पहला लाभ तो यह है कि किसान गाँव में ही उचित मूल्य पर अपनी पैदावार बेच सकते हैं। दूसरे, इनके कारण बिचवैयों का खात्मा हो जाता है और फिर इनके पास धान, खाद और खेती के औज़ारों का भण्डार रहता है जिन्हें किसान आवश्यकता पड़ने पर ले सकते हैं।

दूसरे दिन पशुपालन और खास कर कृत्रिम गर्भाधान आन्दोलन के बारे में विचार-विमर्श हुआ जिसने शीघ्र ही वाद-विवाद का रूप ले लिया। कुछ लोगों ने गायों को कृत्रिम रूप से गर्भ धारण कराने का तीव्र विरोध किया क्योंकि धार्मिक विश्वास के अनुसार वे गाय की माँ के रूप में पूजा करते थे। पर दूसरे लोगों ने इसका बड़ा करारा जवाब दिया कि यदि गाय माता को कृत्रिम गर्भाधान कराना एक जघन्य अपराध है तो धरती माता को गोबर आदि की सहायता से उपजाऊ बनाना भी उतना ही जघन्य अपराध है, क्योंकि बढ़िया फसल उगाने के लिए खाद डालना भी एक तरह का कृत्रिम गर्भाधान ही है।

गाएँ अधिक दूध दें, इसके बारे में विशेषज्ञों की राय थी कि उन्हें बिनौले, सीरा और बूटा खिलाया जाए। प्रशिक्षणार्थियों को सहकारी आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास भी बताया गया। समाज के हित के लिए यह आवश्यक है व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलांजलि दी जाए। केवल सहकारी प्रयत्नों से ही जनता की गरीबी, अज्ञानता और बीमारी दूर की जा सकती है।

औद्योगिक सहकारी समितियों द्वारा वर्तमान घरेलू उद्योगों की उन्नति के प्रश्न पर भी विचार किया। गाँवों की समृद्धि के लिए ग्रामोद्योग और कृषि, दोनों का बराबर महत्व है। भोजन, वस्त्र और निवास—ये मनुष्य की तीन बुनियादी ज़रूरतें हैं। इनमें से पहली चीज़ तो खेती की बदौलत मिलती है और बाकी दोनों उद्योगों से या कृषि-उद्योगों से। इसलिए उद्योगों के विकास और पुनर्स्संस्थापन पर गाँवों के मुखियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे उद्योगों को शुरू करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो बिना किसी बाहरी सहायता के चलाए जा सकें या जो गाँववाले स्वयं ही चला सकते हों। पुराने उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकारी अनुदान,

ऋण और वित्तीय सहायता द्वारा संगठित प्रयत्न किया जाना चाहिए। आत्मनिर्भरता के लिए और फ़सल के बाद खाली बैठे गाँववालों को रोज़गार दिलाने के लिए ऐसे उद्योग खोले जाने चाहिएँ जो गाँवों में ही प्राप्त कच्चे माल से उनके ही उपयोग के लिए माल तैयार करें। मिल कर काम करने को हर सम्भव बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि को उद्योगों के मार्ग में एक बाधा नहीं समझना चाहिए। किसी समय हमारे देश के किसान अपने सुन्दर और सुरुचिपूर्ण ग्रामोद्योगों और घरेलू दस्तकारियों के लिए विश्व-भर में प्रसिद्ध थे।

सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा का भी गाँववालों के लिए कम महत्व नहीं। तीसरे दिन यही महत्वपूर्ण विषय विचारार्थ प्रस्तुत हुआ। प्रतिनिधियों को खण्ड में उपलब्ध चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा दिया गया। उनसे यह प्रार्थना भी की गई कि वे मलेरिया निरोधक दलों को डी० डी० टी० छिड़कने में मदद करें तथा चेचक और बी० सी० जी० के टीके लगाने में सहयोग दें। यह देख कर वास्तव में बहुत दुख होता है कि बीसवीं सदी में भी ऐसे लोग हैं जो अस्पतालों को साक्षात नरक और डाक्टरों को यमराज के दूत समझते हैं। उन्हें समझाया गया कि अब इतनी उन्नति हो चुकी है कि अस्पताल अब नरक न रह कर अत्यन्त सुखप्रद स्थान बन गए हैं। आधुनिक औषधि विज्ञान और शल्य चिकित्सा ने इतनी अधिक उन्नति कर ली है कि असंख्य रोगियों को मौत के पंजों से बचा लिया जाता है। इसके बाद उन्हें यह बताया गया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पीने का पानी हमेशा साफ़-सुथरे और सुरक्षित कुएँ से भरा जाना चाहिए। मगन चूल्हे और खड्डु शौचालय का प्रयोग किया जाना चाहिए। गाँव के नवयुवकों को समय-समय पर गाँव की सफ़ाई के आन्दोलन चलाने चाहिएँ। सामान्य-शिक्षा और समाज-शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। सब इस बारे में एकमत थे कि प्रगति के मार्ग में अशिक्षा ही सबसे बड़ी रुकावट और अभिशाप है।

बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करने के साथ-साथ अनपढ़ प्रौढ़ों के लिए रात्रि स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिएँ; युवकों के संगठन स्थापित करने पर भी ज़ोर दिया गया। तत्पश्चात् ग्राम-पंचायतों, आंचलिक-शासन, कल्याणकारी राज्य, भारत के संविधान तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूलभूत सिद्धान्तों और उद्देश्यों के बारे में चर्चा हुई। शाम को कृषि, स्वास्थ्य और उद्योगों के बारे में फिल्में दिखाई जाती थीं। कुल मिला कर यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा। पास-पड़ोस के गाँवों से स्त्री-पुरुष और बच्चे सैंकड़ों की संख्या में फिल्में देखने आते थे।

अन्तिम दिन सम्बलपुर के डिप्टी कमिश्नर शिविर में पधारे। वहाँ भाषण करते हुए उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों को सलाह दी कि आपने जो कुछ यहाँ सीखा है, अपने गाँवों में जा कर उसे व्यवहार में लाएँ। शिविर समाप्त होने के अन्तिम क्षण तक वहाँ बड़ी चहलपहल रही। अन्त में ३३ के ३३ मुखियों ने इस बात की प्रतिज्ञा की कि वे अपने गाँव, गाँववालों और देश की निःस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। उन्होंने इस प्रतिज्ञा पत्र पर अपने रक्त से हस्ताक्षर किए।

★

सूरज जाग रहा है !

पंखुरियों ने घूँघट खोला
भौंरे नाचे छमक छमक कर
सूरज जाग रहा है !
पंछी जागे
हुआ सबेरा
शरमाया-सा
भगा अंधेरा
रस के लगे हिंडोले
सब कोई दुख भूले;
बौराए रसाल के मधुस्वर
सूरज जाग रहा है !
खेतों में
फसलें मुस्काईं
गीतों में भर
गई ललाई
नभ-यौवन गदराया
समय सलौना आया;
दूर पराग बिछे कूलों पर
सूरज जाग रहा है !
निखराओ जीवन
का सोना
जिससे आगे पड़े
न रोना;
जगा एशिया नूतन
तन-मन कर लो पावन;
श्रम का मूल्य चुकाओ हँस कर
सूरज जाग रहा है !
मीठी हवा चली मदमा कर
सूरज जाग रहा है !

देवप्रकाश गुप्त 'अङ्गार'

क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी में श्रमदान के लिए उत्साह है

धरती बदल रही है

प्राणनाथ सेठ

कोई तीन बरस की बात है। चिरकाल के बाद मैं पंजाब में अपने पुश्तैनी गाँव गया। सुबह के आठ-नौ बजे का समय था। साधारणतया इस वक्त गाँव की गलियों में कुछ चहल-पहल होती है और खेतों में किसान काम करते हुए दिखाई देते हैं। परन्तु आज वहाँ सब जगह ख़ामोशी थी। न कोई 'गबरु जवान' खेतों में नज़र आता था और न ही कोई 'नाज़ुक नार' गलियों में। मैं हैरान था। यह आज मौत की सी ख़ामोशी क्यों छाई हुई है? ईश्वर भला करे। लम्बे-लम्बे डग भरता हुआ मैं अपने घर की ओर बढ़ा। दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने आ कर दरवाज़ा खोला। "माँ आज क्या...गाँव में कोई भी नहीं?" मैंने घबराते हुए पूछा।

"हाँ बेटा, सब प्रोजैक्ट गए हुए हैं।"

"प्रोजैक्ट? यह क्या बला है, अम्माँ?" मैंने फिर पूछा।

"अरे वे प्रोजैक्ट वाले हैं ना। कहते हैं सड़कें बनाओ, कुएँ बनाओ, स्कूल बनाओ, न जाने क्या बनाओ। उन्होंने सब गाँववालों पर जादू कर दिया है। बच्चे, बूढ़े, जवान, आज सब सड़क बनाने में लगे हुए हैं", माँ ने कहा।

यह था सामुदायिक विकास कार्यक्रम से मेरा पहला परिचय

जिसके बारे में इससे पूर्व मैंने केवल समाचार-पत्रों में ही पढ़ रखा था।

इसके बाद मैं अपने पुराने साथियों से मिला, उनसे बात-चीत की। गाँव को बदला हुआ पाया, मित्रों को बदले हुए देखा। ग्राम सेवक से मिला। उसने बताया कि इस गाँव में मुझे अत्यधिक सहयोग मिला है। एक स्कूल बन चुका है। उसमें साठ बच्चे पढ़ रहे हैं, रात को वहाँ १५ बालिग अक्षरज्ञान प्राप्त करते हैं। पंचायत घर भी बन चुका है, सड़क बन रही है। पीने के पानी के कुएँ की व्यवस्था की जा रही है। गाँव के किसानों ने नए बीजों और खेती के नए तरीकों का उत्साह से स्वागत किया है। इतने थोड़े समय में इतनी प्रगति का ब्यौरा सुनकर मेरा मन आनन्द विभोर हो उठा। जिस गाँव के लोगों को मैं सदा से कट्टर-पन्थी समझता रहा था, उन्हें इस २५ वर्षीय युवक ने अपने विनीत ढंग से पूर्णतः बदल डाला था। मैं उसके प्रति नतमस्तक हो उठा। नए भारत को ऐसे ही कर्मयोगियों की आवश्यकता है।

विकास आन्दोलन का प्रारम्भ

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारम्भ हुए आज साढ़े चार वर्ष हो चुके हैं। २ अक्टूबर १९५२ को छोटे से पैमाने पर जो कार्यक्रम देश के केवल १५,००० गाँवों में आरम्भ हुआ था, आज विकसित होकर वह १ लाख ६० हज़ार गाँवों में फैल चुका है। भारत के १२ करोड़ ग्रामीण इस से लाभ उठा रहे हैं। १९६१ तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम को देश के समस्त ५ लाख ५० हज़ार गाँवों में फैला देने का संकल्प है। भारत की सारी ग्रामीण जनता इस विशाल आन्दोलन के अन्तर्गत आ जाएगी। शताब्दियों से देश की सरकार को लगान इकट्ठा करने के अतिरिक्त किसानों में अन्य कोई दिलचस्पी नहीं थी। आज नए भारत की निर्माण शक्ति का प्रतीक ग्राम सेवक ग्रामीण के द्वार पर है। वह उसे स्व-सहायता के आधार पर विकास और उत्थान का सन्देश सुना रहा है। स्वतन्त्र भारत की एक महान् सफलता गाँवों में सामुदायिक विकास आन्दोलन है—जहाँ हमारे करोड़ों देशवासियों ने ज़बान और बाज़ू पाए हैं। ज़बान और बाज़ू, दोनों उनके पास पहले भी थे परन्तु जकड़े हुए। प्रशासन की हृदयहीनता को भली भाँति जानते हुए, वे ज़बान हिलाने से डरते थे, बाजुओं को हरकत देने की वह आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते थे क्योंकि गाँव में सफ़ाई या निर्माण के कार्य को वह लगान उगाहने वाली सरकार का ही सीधा उत्तरदायित्व मानते थे। रुढ़ियों और परम्पराओं से जकड़े हुए इन लोगों में यह परिवर्तन कैसे आया, इसकी कहानी इस प्रकार है—

सफलता की कहानी

जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ, तो लोगों ने इसके कर्मचारियों को भी उसी नज़र से देखा, जिस नज़र से वह सरकार के अन्य कर्मचारियों को देखा करते थे, जैसे पटवारी या दारोगा। परन्तु सामुदायिक विकास के कार्यकर्त्ताओं को जनता में भेजने से पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में पूरा-पूरा प्रशिक्षण दिया गया था। उन्हें इन प्रारम्भिक कठिनाइयों से भली भाँति अवगत करा दिया गया था। उन्हें कृषि-विज्ञान के अतिरिक्त मनोविज्ञान की भी शिक्षा मिली थी। अतः जब वे लोगों के सम्पर्क में आए, तो जनता के तीक्ष्ण कटाक्षों तथा अवज्ञा से घबराए नहीं। उन्होंने अपने कार्यक्रम को साहस, दृढ़ता और सहयोग से जारी रखा। इसका परिणाम धीरे-धीरे परन्तु निश्चित रूप में निकल रहा है जैसा कि असम राज्य की इस घटना से प्रकट है—

असम के एक गाँव के लोग विकास कार्यक्रम में कोई सहयोग नहीं देते थे। वह सदा विकास कार्यकर्त्ताओं की कटु अलोचना करते रहते थे कि वे मोटरों में धूल उड़ाते फिरते हैं और कोई काम-धन्धा नहीं करते। लेकिन इसी बीच पड़ोस के एक गाँव में विकास-कार्यकर्ताओं ने एक देहाती गृह-प्रदर्शनी का आयोजन किया। आलोचना करने वाले गाँव के लोग भी प्रदर्शनी देखने के लिए गए। वहाँ उन्होंने देहाती घरों के सुन्दर तथा सस्ते नमूने देखे, जिनमें खिड़कियों तथा रोशनदानों की व्यवस्था थी। प्रदर्शनी को देख कर गाँव के कुछ लोगों ने अपने घरों में भी रोशनदान बनवाए। विकास कार्यकर्ताओं ने इस बारे में गाँववालों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि इसका उलटा ही असर होगा। एक दिन गाँव के एक सम्भ्रान्त परिवार का डाक्टर बेटा शहर से आया। अपने घर में रोशनदान देख कर वह हैरान रह गया। बाप से पूछा—"क्या प्रोजैक्ट वालों ने रोशन-दान निकलवाए हैं?" बाप गर्व से बोला—"अजी प्रोजैक्ट वाले क्या करेंगे? वे तो सदा धूल उड़ाते फिरते हैं। मैंने यह रोशनदान अपने हाथों से बनाए हैं। पड़ोस के गाँव में गृह-प्रदर्शनी हुई थी। मैंने वहाँ ऐसे रोशनदान देखे। सोचा, अपने घर में भी क्यों न बना लूँ?" बेटा हँस पड़ा। सामुदायिक विकास आन्दोलन के प्रभाव से ऐसे लोग भी नहीं बच पाए।

लगन से कार्य करने का उचित फल मिला है। अनजाने क्षेत्रों में ही नहीं, जाने-बूझे क्षेत्रों में भी। कुछ मुख्य परिणाम ये हैं—विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ४० हज़ार मील लम्बी कच्ची और आठ हज़ार मील लम्बी पक्की सड़कें बन चुकी हैं। २२ हज़ार मील लम्बी सड़कों को सुधारा गया है। १५ हज़ार नए स्कूल खुले हैं और सात हज़ार वर्तमान स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया गया है। ४१ हज़ार समाज शिक्षा केन्द्र खुले, जिनमें १२ लाख बालिगों को अक्षर-ज्ञान कराया जा चुका है। आठ सौ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र और ५७८ प्रसव तथा शिशु

केन्द्र खुल चुके हैं। सामुदायिक विकास क्षेत्रों में ११,५४० पंचायतें और ३० हज़ार अन्य जनतन्त्री संस्थाएँ जैसे ग्राम सभा, विकास मण्डल इत्यादि स्थापित की गई हैं। खेती-बाड़ी के क्षेत्र में उन्नति का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि सामुदायिक विकास के अन्तर्गत क्षेत्रों में उपज में औसतन २५ प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस विशाल आन्दोलन में इस समय ग्राम-सेवकों से ले कर ऊपर तक एक लाख विकास कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसमें ३ लाख व्यक्ति काम कर रहे होंगे। इस प्रकार हम विकास कार्यकर्ताओं की एक नई सेना का संगठन कर रहे हैं जो गरीबी, बीमारी, और अज्ञान से सदा जूझती रहेगी।

जनता का सहयोग

विकास कार्यक्रम का सब से महत्वपूर्ण पहलू है जनता का सहयोग। जनता का सहयोग जुटाए बिना या उनका समर्थन प्राप्त किए बिना कोई कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया जा सकता। प्रत्येक योजना के खर्च का एक भाग जो प्रायः ५० प्रति शत से कम नहीं होता, जनता को देना पड़ता है, चाहे वह नकदी के रूप में हो अथवा श्रम के। विकास कार्यक्रम की विचारधारा के अनुसार जनता को किसी ऐसी संस्था या योजना के प्रति मोह नहीं हो सकता, जिसके निर्माण में उसका गाढ़ा पसीना न बहा हो। इस कारण यदि किसी कार्यक्रम के प्रति लोग उदासीन हों अथवा अपना हिस्सा देने को तैयार न हों, तो उसे तब तक के लिए स्थगित रखा जाता है, जब तक लोगों का दृष्टिकोण न बदल जाए। कहने की आवश्यकता नहीं कि जन-साधारण ने विकास कार्यक्रम में बढ़-चढ़ कर सहयोग दिया जो इन आँकड़ों से स्पष्ट है—मार्च १९५६ तक समूचे सामुदायिक विकास कार्य पर ७२.१५ करोड़ रुपए व्यय हुए थे। इस में सरकार का व्यय ४६.०२ करोड़ था और जनता का भाग २६.१३ करोड़ अर्थात् ५० प्रतिशत से कुछ अधिक। यह सब कुछ इस बात के बावजूद हुआ कि हमारी ग्रामीण जनता अत्यन्त निर्धन है और उसके पास श्रम के अतिरिक्त अन्य कुछ दान के लिए नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि सामूहिक विकास आन्दोलन के अन्तर्गत भारत की धरती बदल रही है, इन्सान बदल रहे हैं।

राजस्थान में श्रमदान

कार्यक्रम दो अंग

विकास कार्यक्रम के दो अंग हैं—सामुदायिक विकास योजना (कम्यूनिटी प्रोजैक्ट) तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा (नेशनल एक्सटेन्शन सर्विस)। दोनों का मुख्य उद्देश्य देहात में नए जीवन का संचार करना है। अन्तर केवल इतना ही कि सामुदायिक विकास खण्ड में तीन वर्ष में जितने खर्च की व्यवस्था होती है, उससे प्रायः आधे से कुछ कम की व्यवस्था राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में होती है। काम वही है, कार्यक्रम वही है। केवल काम की मात्रा में कुछ कमी हो सकती है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की योजना इस प्रयोजन से तैयार की गई थी कि जल्दी से जल्दी सारे देश को विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके। जिन-जिन राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में अच्छा काम होता है, उन्हें सामुदायिक विकास खण्ड बना दिया जाता है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, १९६१ तक समूचा देश विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसमें ४० प्रति शत क्षेत्र सामुदायिक विकास-योजना के अन्तर्गत होगा।

संगठन

एक विकास खण्ड में लगभग सौ गाँव होते हैं जिसमें प्रायः ६० से ७० हज़ार तक आबादी होती है। सारे काम के संचालन का उत्तरदायित्व खण्ड विकास अधिकारी पर होता है। प्रत्येक पाँच या दस गाँवों के लिए एक ग्राम सेवक नियुक्त होता है। यह एक गाँव में अपना मुख्य कार्यालय बना लेता है और अन्य गाँवों का बराबर दौरा करता रहता है। ग्राम सेवक की सहायता के लिए प्रत्येक खण्ड में एक से तीन तक समाज शिक्षा संगठक (सोशल एजूकेशन आर्गनाइजर) होते हैं जो लोगों को समाज शिक्षा कार्यक्रम के लिए तैयार करते रहते हैं—जैसे प्रौढ़ शिक्षा, फिल्म शो, मेलों, प्रदर्शनियों द्वारा। खेती बाड़ी, पशु-चिकित्सा, घरेलू उद्योग, स्वास्थ्य इत्यादि विभिन्न जटिल समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक खण्ड में इन विषयों के विशेषज्ञ होते हैं, जिनकी सेवाएँ हर समय ग्राम सेवक को उपलब्ध रहती हैं। इस प्रकार खण्ड अधिकारी के नेतृत्व में विकास कार्यक्रम की यह टीम गाँव से दरिद्रता दूर करने के लिए सामूहिक प्रयास करती है। ज़िले भर में विकास कार्यक्रम की देख-रेख का दायित्व कलक्टर के कन्धों पर है। राज्य के कार्यक्रम का संचालन विकास आयुक्त (डैवेलपमैंट कमिश्नर) करता है। विभिन्न राज्यों के कार्यक्रम में तालमेल रखने तथा मूल नीति निर्धारित करने के लिए केन्द्र में सामुदायिक विकास मन्त्रालय है। इस प्रकार यह राष्ट्रीय आन्दोलन एक सूत्र में बँध कर आगे बढ़ता है।

जीने का अधिकार

सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने दक्षिण में कन्याकुमारी से ले कर उत्तर में काश्मीर तक, और पश्चिम में कच्छ से ले कर पूर्व में असम तक, भारत के सोते हुए देहात में एक जीवन का संचार किया है। शताब्दियों से हमारे गाँव गहरी नींद में सोए पड़े थे। सामुदायिक विकास आन्दोलन ने सोते हुओं को जगाया है, पददलितों को साहस दिया है और संघर्ष के लिए नई स्फूर्ति। हम भारत में समाजवादी समाज का स्थापना करने के लिए वचनबद्ध हैं। परन्तु वह वचन तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक हमारे २८ करोड़ देहाती भाई जागरूक नहीं होते। सामुदायिक विकास कार्यक्रम उन्हें नए जीवन के लिए तैयार कर रहा है; उन्हें जीवन का अधिकार दे रहा है और उस अधिकार की प्राप्ति के लिए शक्ति भी।

★

हमारा नया राष्ट्रीय पंचांग

शक सम्वत के अनुसार जो राष्ट्रीय पंचांग बनाया गया है, वह २२ मार्च १९५७ से लागू हो गया है। अब सारे सरकारी काम-काज में ईस्वी तारीखों के साथ-साथ नई तारीखें भी चल रही हैं।

नए पंचांग का पहला महीना चैत्र है और साल में ३६५ दिन हैं। हर चौथा साल ३६६ दिन का होगा।

नए पंचांग में भी १२ ही महीने रखे गए हैं और साल वसंत विषुव के अगले दिन से शुरू होगा। इस प्रकार इस्वी सन् के दिन से इस पंचांग की तिथियों का हमेशा एक सा ही अन्तर रहेगा।

भारत के पंचांग निर्माताओं ने साल ३६५. २५८७६ दिन का माना है। लेकिन वास्तव में हमारे देश में साल ३६५ २४२२ दिन का होता है। यह अन्तर कुछ तो वीक्षण की त्रुटि के कारण पड़ता जाता है और कुछ विषुव का सम्यक ज्ञान न होने से।

पिछले १४०० वर्षों से यह अन्तर पड़ता जा रहा है और इसका नतीजा यह हुआ है कि सौर वर्ष ठीक बसन्त विषुव के अगले दिन शुरू न हो कर २३-२४ दिन आगे हट गया है। इस प्रकार ऋतुओं की गणना में भी २३ दिन का अन्तर पड़ गया है। अब से १४ सौ वर्ष पूर्व जो पर्व और त्यौहार आदि जिस ऋतु में मनाए जाते थे, वे भी अब २३ दिन हट गए हैं।

पंचांग सुधार समिति ने विचार किया कि इस अन्तर को अब और नहीं बढ़ने देना चाहिए।

त्यौहारों और पर्वों की तिथियों पर इस पंचांग से कोई असर नहीं पड़ेगा। धार्मिक कृत्यों की दृष्टि से इस पंचांग के महीने चन्द्रमा के अनुसार ही चलेंगे और जिस सौर मास में पूर्णिमा पड़ेगी, उससे आरम्भ होने वाले चन्द्र मास का भी वही नाम रहेगा।

आसफ़पुर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

आसफ़पुर राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड, उत्तरप्रदेश में बदायूँ ज़िले के उत्तर पश्चिमी छोर पर अरल व सोत नदियों के अंचल में स्थित है। इसके अन्तर्गत ६ पंचायती अदालतें हैं जिनमें १०० गाँव सम्मिलित हैं। इस का क्षेत्रफल ५०,१४३ एकड़ तथा जनसंख्या ५४,५१२ है। यहाँ विकास कार्य का श्रीगणेश २६ जनवरी, १९५५ को किया गया था।

यहाँ की जनता अपनी परेशानियों और बेबसियों में इस प्रकार जकड़ी हुई थी कि किसी को विकास की बात सोचने का तो अवकाश ही न था। सिंचाई के साधनों की कमी थी, यातायात की अनेक असुविधाएँ थीं और कुटीर उद्योगों का नितान्त अभाव था। कृषि के उन्नतिशील तरीकों को तो कोई जानता ही न था। यहाँ का किसान अत्यधिक निराशावादी था। अज्ञान और निराशा से घिरी हुई जनता अपनी फूँस की झोंपड़ियों में पड़ी ठण्डी साँसें भर रही थी। परन्तु १३ दिसम्बर, १९५३ को आसफ़पुर में जो एक शिक्षण एवं विस्तार केन्द्र खुला, उससे यहाँ विकास कार्यों के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने में काफी सहायता मिली। यह शिक्षण केन्द्र लगभग १ वर्ष तक गान्धी सेवा सदन के नेतृत्व में बड़ी ही संलग्नता के साथ जनता को विकास कार्यों की ओर प्रेरित करता रहा। यहाँ गांधी सेवा सदन एक कर्त्तव्यनिष्ठ एवं आदर्श संस्था के रूप में पहले से ही कार्य कर रहा है। अतः राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के कार्यकर्त्ताओं को कार्य आरम्भ करने में कोई विशेष कठिनाई न हुई।

इसके उपरान्त जनता के सक्रिय सहयोग द्वारा विकास एवं निर्माण के अनेक कार्य सम्पन्न हुए और इसी के फलस्वरूप समस्त क्षेत्र में नवचेतना की लहर दौड़ रही है।

कृषि

कृषि ग्राम जीवन का मुख्य अंग है। किसानों में विश्वास जगाने के लिए लगभग ३,१५१ प्रदर्शन किए गए। जापानी ढंग से धान की खेती, डिबलिंग से गेहूँ की बुवाई, फसलों का हेरफेर, अच्छी खाद, सुधरे औज़ारों के प्रयोग तथा बढ़िया किस्म के अनाजों के प्रदर्शन किए गए। इन प्रदर्शनों के फलस्वरूप २५,००० मन बढ़िया बीजों का वितरण हो चुका है तथा लगभग २९६ सुधरे औज़ार बाँटे गए। कम्पोस्ट खाद के १,५४६ गड्ढे बनवाए गए। ४५ गाँवों में बढ़िया बीज बाँटे गए। कुएँ, रहट, विभिन्न साधनों आदि द्वारा १,५४६ एकड़ भूमि की सिंचाई की गई। इसके अतिरिक्त फलों और तरकारियों की खेती में भी काफी उन्नति हुई है। २७५ मन आलू तथा विभिन्न तरकारियों के १२० पौंड बीजों का वितरण किया गया, जिससे तरकारियों के क्षेत्र में १७० एकड़ की वृद्धि हुई।

वन महोत्सव के पर्व के अवसर पर फलों के लगभग १,३०० वृक्ष तथा लगभग इतने ही पेड़ लगाए गए।

५५० एकड़ भूमि सुधार कर कृषि योग्य बनाई गई और लगभग २८९ एकड़ में भूमि संरक्षण की योजना लागू हो चुकी है।

रासायनिक खादों के प्रयोग में यहाँ के किसान काफ़ी विश्वास करने लगे हैं। लगभग ६,२२१ मन रासायनिक खादों का वितरण हो चुका है। इसके फलस्वरूप उपज में ३१,२४९ मन की वृद्धि हुई है और लगभग ७,८११ एकड़ भूमि पर हरी खादों का प्रयोग किया गया।

समाज शिक्षा

ग्रामों की सर्वतोमुखी उन्नति व विकास का मुख्य आधार जन-साधारण की शिक्षा व जागृति है। हमारे नवनिर्मित गाँव में नवीन सुखमय व आनन्दित जीवन का प्रस्फुरण व उदय केवल ज्ञान की अभिवृद्धि तथा सभी छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष की शिक्षा द्वारा ही सम्भव है। विकास के इस आवश्यक एवं महत्वपूर्ण अंग पर विशेष बल दिया गया तथा इस दिशा में विशेष प्रयत्न किए गए।

क्षेत्र की जनता में साक्षरता प्रचार में विशेष सफलता मिली। आरम्भ में २३ प्रौढ़ पाठशालाओं को आरम्भ किया गया। अब तक इन कक्षाओं द्वारा ८५६ प्रौढ़ साक्षर बनाए जा चुके हैं और यह कार्य और भी तेज़ी से जारी है। ग्रामवासियों की ज्ञान वृद्धि और उनमें पुस्तकों के लिए अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए पुस्तकालयों की स्थापना हो चुकी है।

आज के नन्हें बालक कल के नागरिक हैं तथा राष्ट्र की महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। उनके मानसिक तथा शारीरिक विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में अनेक मेलों तथा खेलकूद के समारोहों का आयोजन किया गया। अब तक ३ किसान मेले एवं प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा चुकी हैं। ६ नवीन प्राइमरी पाठशालाएँ आरम्भ हुईं तथा बालकों के ३ उद्यान स्थापित किए गए। बालकों के ४ नए उद्यान ग्राम राजटिकौली, दवतौरी, दाँवरी तथा कोड़िया में स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रामवासियों के मनोरंजनार्थ ४० सामाजिक एवं

सूचना केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। अब तक २ ग्रामनेता शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इस वर्ष विकास केन्द्र, आसफ़पुर में एक बृहत् कृषि गोष्टी का भी आयोजन हुआ, जिसमें बहुत अधिक संख्या में प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श कर अपनी अनेक कृषि समस्याओं का हल निकाला और एक दूसरे के अनुभव एवं ज्ञान से लाभ उठाया।

१३ मार्च से १५ मार्च १९५६ तक आसफ़पुर ग्राम में एक बृहत् सर्वोदय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के विभिन्न भागों से ८०१ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस आयोजन का उद्घाटन माननीय राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन के कर कमलों द्वारा हुआ। पूज्य बाबा राघवदास, माननीय श्री विचित्रनारायण, माननीय आचार्य जुगलकिशोर, मा० पं० केशवदेव मालवीय, माननीय डा० फूलसिंह, माननीय श्री राममूर्ति, उपविकास आयुक्त श्री इफ्तिकारहुसैन आदि प्रमुख महानुभाव तथा जिला स्तरीय अधिकारी वर्ग की उपस्थिति से सम्मेलन बहुत सफल रहा। इस विशद आयोजन की कृषि तथा औद्योगिक प्रदर्शनी विशेष महत्वपूर्ण व सफल रही।

प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में लाला चम्पतराय मूलचन्द जी का दान भी सराहनीय है, जिन्होंने अपने ही धन व साधनों द्वारा ८,००० रुपए के मूल्य की प्राथमिक पाठशाला ग्राम दवतौरी में स्थापित की जो अब जूनियर हाई स्कूल के रूप में चल रही है।

जनस्वास्थ्य

हमारे पिछड़े ग्रामों में जनस्वास्थ्य सुधार कार्य सदा उपेक्षित रहा है। विकास क्षेत्र के प्रारम्भ होते ही इस दिशा में चारों ओर विविध कार्यों का समारम्भ हुआ। इनका विवरण इस प्रकार है—

६५२ सोख्ता गड्ढे और ४,६१२ शौचालय बनाए गए, १०,६०१ गज़ पक्की नालियाँ बनाई गईं और ६,४१३ गज़ नालियों को पक्का किया गया। ६२ आदर्श कुएँ बनवाए गए। निर्माण के अन्य अनेक कार्यों के अतिरिक्त दवाएँ भी बाँटी गईं।

पंचायत

पंचायतें हमारे ग्राम समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। वास्तव में ग्रामोत्थान का सम्पूर्ण कार्य इन्हीं के सहयोग से सम्पन्न होता है। इसी आधारभूत भावना को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में खण्ड द्वारा किए गए सफल प्रयत्नों का विवरण इस प्रकार है—

(क) ८ पंचायतघर बनाए जा चुके हैं,
(ख) १३ पंचायतघर बन रहे हैं,
(ग) ५ गान्धी चबूतरे बनाए गए,
(घ) १४१ लालटेनें लगाई गईं,
(ङ) १७१५२ रुपए कर-वसूली की गई,
(च) ६ मील लम्बी कच्ची सड़क बनाई गई,
(छ) ३३ मील लम्बी कच्ची सड़कों की मरम्मत की गई,
(ज) १३ पुराने बागों का सुधार किया गया, और
(झ) ११ पुलियाँ बनाई गईं।

सहकारिता

हमारे ग्रामों की अनेक आर्थिक समस्याएँ हैं, जिनका सब से सरल और एक मात्र उपयोगी हल सहकारिता है। इस दिशा में भी खण्ड को आशातीत सफलता मिली।

समस्त क्षेत्र में ४ सहकारी संघ हैं। क्षेत्र में सहकारी समितियों का जाल-सा बिछा हुआ है। प्रत्येक ग्राम में कम से कम एक सहकारी समिति तो है ही। सहकारी समितियों की संख्या १०४ है। अब तक १,१७५ नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। ७,४४६ रुपए के हिस्से बेचे जा चुके हैं। विकास कार्यों के लिए ४,४८,८३० रुपए के ऋण दिए गए। सहकारी समितियों द्वारा १५,४६८ मन बीज व २,०६८ मन खाद बाँटा गया।

पशुपालन

कृषि उद्योग में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान है। क्षेत्र में इनके विकास व उन्नति के लिए आवश्यक प्रयत्न किए गए, जिन के परिणामस्वरूप नस्ल सुधारने, बीमारियों की रोकथाम आदि में आशातीत सफलता प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में किए गए प्रयत्नों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(क) १,८१९ साँडों को बधिया किया गया,
(ख) अच्छी नस्ल के १९ साँड बाँटे गए,
(ग) हरियाना नस्ल की २१ गाएं बाँटी गईं,
(घ) ४,२१७ पशुओं का इलाज किया गया, और
(ङ) ५४,१२५ पशुओं के टीके लगाए गए।

जनता का सहयोग

हमारे निर्माण महायज्ञ की सफलता के लिए जनता का सक्रिय सहयोग परमावश्यक है। श्रमदान महायज्ञ में जनता ने अब तक पूर्ण योग प्रदान किया है तथा अन्य अनेक कार्य सम्पन्न किए हैं। इनमें मुख्यतः २५ मील कच्ची सड़क का निर्माण महत्व-पूर्ण है। इस प्रकार जनता ने अब तक श्रमदान, धनदान तथा अन्य रूप में निर्माण व विकास कार्यों में ३,२९,३८४ रुपए का योग प्रदान किया।

प्राकृतिक प्रकोपों के कारण निर्माण व नियोजन कार्य में बाधा पड़ने पर भी जनता ने जो सहयोग प्रदान किया, वह उत्साहवर्द्धक है। समस्त सफलता का श्रेय क्षेत्रीय जनता तथा विशेष रूप से ग्राम नेताओं व सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को है जिनके हम विशेष रूप से कृतज्ञ हैं।

सेहत खराब क्यों है ?

सावित्रीदेवी वर्मा

फाल्गुन का महीना ! खेतों में चने और गेहूँ की हरी-हरी बालियाँ लहलहा रही थी। वासन्ती हवा बह रही थी। किसानों को इन दिनों विशेष अवकाश होता है। इसीलिए जगतपुर की चौपाल में काफी रौनक थी। फिर हर इतवार की तरह आज के दिन भी डाक्टर शिवदयाल गाँव-गाँव के दौरे पर आए हैं। पिछले इतवार जिन मरीज़ों को दवा दी थी, अभी तक उनकी हालत सुधरी नहीं है। दिखता है कि कमज़ोरी के कारण बीमारी उनका पिण्ड जल्द नहीं छोड़ेगी।

डाक्टर साहब को कुछ चिन्तित देखकर चौधरी रामधन ने पूछा—"डाक्टर साहब आज आप खुश नहीं दिख रहे, किस सोच में पड़े हैं ?"

डाक्टर—"भाई चौधरी, आज दो महीने से मैं तुम्हारे गाँव में आ रहा हूँ, पर लोगों का स्वास्थ्य सुधरता नज़र नहीं आता। अधिकांश लोगों का स्वास्थ्य खराब है, उनके चेहरे पीले पड़े हुए हैं, या तो शरीर की एक-एक हड्डी निकल रही है या मोटापा छाया हुआ है। यह सब क्या तन्दुरुस्ती की निशानी है ? चुस्त और गठी हुई काया, काम करने में तेज़ी तो मुझे किसी में दिखाई ही नहीं पड़ी।"

चौधरी ने साफ़ा ठीक करते हुए कहा—"अजी, दुख-बीमारी तो सब की काया के संग हैं। यह क्या हमारे हाथ की बात है ?"

डाक्टर—"हाँ, इन्सान के ही हाथ की बात है। यह शरीर तो एक इंजन की तरह है। यदि इसे साफ रखा जाए, ठीक ढंग का कोयला-पानी समय पर मिलता रहे तो देखें यह कैसे ठीक नहीं चलता ! तुम लोग अपने इस इंजन को ठीक ढंग का भोजन ही नहीं देते, तभी तो सब के चेहरे बेरौनक नज़र आते हैं। घर-घर बीमार पड़े हुए हैं। भला दवाई क्या कर सकती है जब कि शरीर में ताकत ही न हो ? और शरीर की ताकत सन्तुलित भोजन पर ही निर्भर है—यानी ऐसा भोजन जिससे शरीर की सब ज़रूरतें पूरी हो जाएँ।"

पटेल गंगादीन ने सिर खुजाते हुए कहा—"महाराज, आपका कहना ठीक है। जब से सिंचाई के साधन बढ़े हैं, उपज भी काफ़ी अच्छी होने लगी है, पर राम जाने इस कलियुग में अन्न में सत क्यों नहीं रहा जो खाया-पिया शरीर को लगता ही नहीं।"

डाक्टर—"पटेल जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि खेती-बाड़ी के साधन और सिंचाई की सुविधाएँ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और भी बढ़ जाएँगी, पर योजना सच्चे अर्थ में तभी सफल होगी जब हमारे देश के लोग तन्दुरुस्त और सुखी नज़र आएँगे। आपके पास कोई चीज़ है, पर यदि आपको उसका सही इस्तेमाल करना नहीं आता, तो उसका होना न होना दोनों ही बराबर हैं। माना कि आप लोग खाते-पीते हैं, पर अगर ठीक ढंग का भोजन नहीं खाएँगे, तो शरीर की ज़रूरतें पूरी कैसे हो सकती हैं ? इसका नतीजा यह होगा कि तन्दुरुस्ती बिगड़ जाएगी।"

चौधरी—"तो डाक्टर साहब, फिर आप ही बताएँ कि कैसा भोजन किया करें। पर बताते समय इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि हम लोग किसान-मज़दूर आदमी ठहरे। हम लोगों का जीवन सीधा-सादा है। बहुत लम्बा-चौड़ा खर्च हम से बर-दाश्त न हो सकेगा।"

चौधरी की यह बात सब को बड़ी पसन्द आई। कइयों ने सिर हिला कर उसकी राय में अपनी राय जताई।

डाक्टर साहब बोले—"चौधरी जी ! सन्तुलित भोजन के

लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, केवल इस बात की समझ होनी चाहिए कि किस समय क्या खाएँ, भोजन का मेल कैसा हो, कितनी तादाद में कौन-सी चीज़ खानी चाहिए और भोजन के चुनाव और सार-संभाल में गलती न की जाए। शरीर की खोई ताकत को पूरा करने और सेहत बनाए रखने के लिए एक मेहनत-कश इन्सान को रोज़ नीचे बताई मात्रा में भोजन चाहिए—

चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि अनाज	७ छ०
हरी पत्ता भाजी	१½ छ०
कन्दमूल यथा आलू, शकरकन्दी	२ छ०
अन्य साग भाजी	१½ छ०
फल (आम, केला, खरबूजा, अमरूद आदि)	१½ छ०
दूध	५ छ०
चीनी या गुड़	१ छ०
तेल, घी आदि	१ छ०
मछली, गोश्त	१½ छ०
अण्डा	एक

जो लोग माँस-मछली नहीं खाते, वे अपने दैनिक भोजन में साग-सब्ज़ी और दूध की मात्रा बढ़ा लें। अगर असली दूध न भी मिले तो सपरेटा और छाछ पिएँ। चना-मूँग भिगो कर जब उनमें अंकुर उग आएँ तो उन्हें कच्चा ही खाएँ। गेहूँ का दलिया, गुड़ डाल कर पकाएँ। इसकी काँजी यदि आप छोटे बच्चों को पिलाएँ तो वे तगड़े हो जाएँगे। दाँत निकलने की आयु में बच्चों के लिए चावल का माँड़ भी गुणकारी होता है। बीमार को भी हल्का और उबला हुआ भोजन मिलना चाहिए ताकि उसकी ताकत बनी रहे और हाज़मे पर ज़ोर न पड़े।

यदि आप नीची लिखी बातों का ध्यान रखें तो आपको सारपूर्ण भोजन मिल सकता है।

(१) हरी साग-सब्ज़ी जो कच्ची खा सकें, रोज़ ज़रूर खाएँ। दाल या गोश्त के संग हरी सब्ज़ी मिला कर पकाएँ। इससे उसका स्वाद और गुण बढ़ जाएगा।

(२) भोजन समय पर खाएँ और खूब चबा-चबा कर खाएँ। सफ़ाई से खाएँ और बेफ़िक्री से खाएँ। नाक तक मत खाएँ और एक ही समय में अनाप-शनाप चीज़ों से पेट मत भर लें। अधिक मसालेवाला, भुना हुआ, चटपटा, अधिक पका हुआ या बासी-ठण्डा भोजन सेहत के लिए हानिकारक है। भोजन आपकी आयु, सेहत, हाज़मे और धन्धे के अनुकूल होना चाहिए।

(३) जहाँ तक हो सके, भाजी का छिलका निकाल कर मत फेंक दें। भाजी काटने से पहले धो लें। काटने के बाद उसे धो कर, निचोड़ कर या उसका सार मत फेंक दें। तेज़ आँच पर भोजन मत पकाएँ। ज़रूरत से ज्यादा मत पकाएँ। हाथ की चक्की का पिसा आटा और ओखली का कुटा धान अधिक गुणकारी होता है। आटा बिना छाना खाएँ, क्योंकि चोकर और छिलके में बहुत गुण होते हैं।

(४) अपनी रसोई और बर्तन साफ़ रखें। खाने-पीने की जगह भी साफ़ होनी चाहिए। भोजन को धूल-मिट्टी और मक्खियों से बचाएँ।

(५) भोजन का चुनाव और मेल सही होना चाहिए। यदि एक ही वक्त में उर्द की दाल और मटर खाई जाएँगी तो पेट में गड़बड़ हो सकती है।"

जब डाक्टर साहब यह सब बता चुके तो चौधरी ने गाँव की स्त्रियों को सम्बोधित करके कहा—"सुना तुम लोगों ने, डाक्टर साहब ने लाख टके की बात बताई है। जो आज सुना है, उस पर अमल करके दिखाओ तब बात है।"

प्रगति के पथ पर

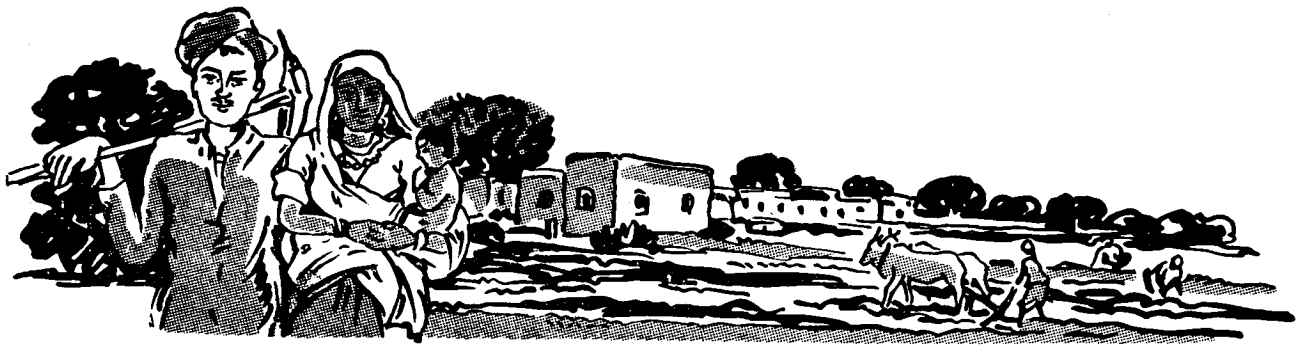

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएँ

सामुदायिक विकास मन्त्रालय ने राष्ट्रीय विस्तार सेवा-खण्डों में चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्यय सम्बन्धी सेवा के बारे में एक योजना बनाई है। प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड के बजट में इन सेवाओं के लिए ४०,००० रुपए की व्यवस्था की गई है। इस रकम में से १०,००० रुपए पूंजीगत व्यय और ३०,००० रुपए आवर्तक व्यय के लिए रखे गए हैं। इस योजना के लक्ष्य और प्राथमिकता तय करते समय सम्बन्धित राज्यों के स्वास्थ्य निर्देशकों से सलाह ली जाएगी।

इस योजना के अनुसार गाँवों में रखी गई औषध-पेटियों के लिए दवा खरीदने, वर्तमान औषधालयों को अनुदान देने, तथा दाई, स्वच्छता-निरीक्षक आदि कर्मचारियों की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता देने में ही आवर्तक-व्यय का उपयोग किया जाएगा।

पूंजीगत व्यय के बारे में सुझाव है कि इसका उपयोग नए कुएँ खोदने और पुराने कुएँ सुधारने के लिए किया जाए। इन कुओं में हैण्ड पम्प लगाने का भी सुझाव है। इसके अलावा औषधालयों के लिए इमारतें बनाना और वर्तमान औषधालयों में सुधार करना, टट्टियाँ और पेशाबघर बनाना, नालियाँ खोदना, धुएँ-रहित चूल्हे बनाना, गाँवों की गलियाँ पक्की करना आदि कामों के लिए भी इस रकम को खर्च करने का सुझाव है।

स्वास्थ्य योजना के लिए सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा दिए गए धन के अतिरिक्त कुछ खण्डों में ग्रामीण जल-पूर्ति कार्यक्रमों अथवा स्थानीय निकायों की ओर से भी धन दिया जाएगा। इस प्रकार जमा होने वाली कुल निधि से जल-पूर्ति तथा स्वच्छता की एक विस्तृत योजना शुरू करने का सुझाव है।

ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की रक्षा

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड सम्बन्धी योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर है कि गाँवों में स्वास्थ्य और स्वच्छता की सुविधाएँ किस हद तक उपलब्ध कराई गई हैं। विकास आयुक्तों के सम्मेलन ने भी ये सुविधाएँ उपलब्ध कराने पर ज़ोर देते हुए सिफ़ारिश की है कि प्रत्येक खण्ड में एक स्वास्थ्य केन्द्र और ३ प्रसूति उपकेन्द्र होने चाहिएँ। इस काम के लिए उचित संख्या में कर्मचारियों की व्यवस्था भी की गई है।

राज्यों में सन्तति नियमन सम्बन्धी सामान और साहित्य तैयार करने और इसे बाँटने के भी उपाय किए जा रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन्तति नियमन कार्यक्रम के बिना अधूरा है। अतः सामुदायिक विकास क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएँ बढ़ाते समय ग्रामीण जनता में सन्तति नियमन की लोकप्रियता बढ़ाने की भी योजना है।

सामुदायिक विकास-योजनाओं में स्वास्थ्य-व्यवस्था

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम की विभिन्न विकास-योजनाओं के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य कर्मचारियों के और अधिक स्कूल खोलने का विचार है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ७२० स्वास्थ्य कर्मचारियों को ८ स्कूलों में और १८० को लेडी

रीडिंग हैल्थ स्कूल में प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ५४० स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए ६ नए स्कूल खोलने का विचार है।

जहाँ तक आर्थिक सहायता का प्रश्न है, भारत सरकार राज्य सरकारों द्वारा संचालित प्रशिक्षण संस्थाओं को, इमारतों और साज-सामान के लिए अधिक से अधिक ७० हज़ार रुपए देगी। इसके अलावा भारत सरकार पहले छः महीनों का कुल आवर्तक व्यय, अगले १२ महीने के आवर्तक व्यय का ६६⅔ प्रति शत, उसके बाद के १२ महीनों के आवर्तक व्यय का ५० प्रति शत और अगले ३० महीनों का आवर्तक व्यय का ३३⅓ प्रतिशत देगी।

जच्चा-बच्चा कल्याण कार्य की प्रगति

प्रसूताओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु संख्या का कम होना देश की स्वास्थ्य-व्यवस्था में सुधार का सूचक है। पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सन् १९४८ से जच्चा-बच्चा की देखरेख की व्यवस्था का तेज़ी से विस्तार हो रहा है।

१९३२ से पहले के विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी कहा जा सकता है कि उन दिनों शहरों में भी बड़ी संख्या में प्रसूताओं की मृत्यु होती थी। १९३९ में प्रति हज़ार के पीछे लगभग बीस प्रसूताओं की मृत्यु हो जाती थी। १९५४ तक यह संख्या घट कर गाँवों में प्रति हज़ार १० और शहरों में, जहाँ प्रसूति की देखभाल का प्रबन्ध अच्छा था केवल दो रह गई।

शिशुओं की मृत्यु संख्या भी काफी घटी है। १९१० में जहाँ प्रति हज़ार २१२ बच्चों की मृत्यु होती थी, वहाँ १९५० में घट कर १२७ और १९५४ में केवल ११६ रह गई। जहाँ बच्चों की देखभाल का प्रबन्ध अच्छा है, वहाँ तो यह संख्या प्रति हज़ार केवल ९६ है।

अब गाँवों में प्रसूति की देखरेख की व्यवस्था और प्रसूति केन्द्रों के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रबन्ध करने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। आजकल देश में इस प्रकार के लगभग ३,००० केन्द्र हैं।

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना में भी जच्चा-बच्चा की देखभाल शामिल है। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में ३,००० राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित होंगे। इन केन्द्रों में जच्चा-बच्चा की देख-रेख भी की जाएगी।

खादी उद्योग के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

देश के परम्परागत खादी उद्योग के लिए भारत सरकार ने अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग मण्डल को और वित्तीय सहायता देना स्वीकार किया है।

मण्डल खादी उत्पादन के लिए ज़रूरी वस्तुएँ, जैसे कपास, ऊन, रेशम के कीड़े, औज़ार, रासायनिक रंग तथा कच्चा माल आदि खरीदने के लिए रजिस्टर्ड संस्थाओं को ऋण देने की व्यवस्था करेगा। जिन रजिस्टर्ड तथा अन्य संस्थाओं को मण्डल से मान्यता प्राप्त है, मण्डल उन्हें १ करोड़ ४० लाख रुपए के ऋण देगा।

अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग मण्डल की सिफारिश पर छः संस्थाओं को सीधे लगभग एक करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इन संस्थाओं के नाम ये हैं:—बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, मुज़फ्फरपुर; गान्धी आश्रम, मेरठ; पंजाब खादी ग्रामोद्योग संघ, आदमपुर दुआबा; खादी आश्रम, अम्बाला; राजस्थान खादी संघ, चौम्भू और सर्वसेवासंघ वर्धा।

खादी भण्डारों तथा मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के द्वारा बुनकरों को खादी बनाने के औज़ारों और दूसरे आवश्यक सामान खरीदने के लिए उस के मूल्य की आधी सहायता देने के लिए दो लाख रुपए और सुधरे हुए औज़ारों के प्रचार के लिए १ लाख ६२ हज़ार रुपए देना स्वीकार किया गया है।

मण्डल को इससे पहले १ करोड़ ५० लाख रुपए की रकम स्वीकृत की गई थी। मण्डल को इस रकम का उपयोग करने की आज्ञा दे दी गई है। मण्डल इस राशि का उपयोग खादी की बिक्री बढ़ाने के लिए करेगा। इसी काम के लिए मण्डल को ५० लाख रुपए की और स्वीकृति भी दी गई है।

★

योजना

गत २६ जनवरी से भारत सरकार "योजना" नाम से हिन्दी में एक पत्रिका प्रकाशित कर रही है। इसका उद्देश्य गाँवों और शहरों, बच्चों और बूढ़ों, लड़कियों और युवतियों में भारत के नव-निर्माण का सन्देश पहुँचाना और साथ ही जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना है। हमारी "आपकी राय" स्तम्भ में जनता की आवाज़ गूंज रही है, भले ही वह लाल फीता और नौकरशाही के विरुद्ध जाए।

देखिए किन शब्दों में प्रतिष्ठित हिन्दी पत्रों ने हिन्दी "योजना" का स्वागत किया है :

साप्ताहिक प्रताप कहता है--"सरकारी प्रकाशन होते हुए भी 'योजना' जनसेवा में अपना स्थान बना सकेगी, ऐसी आशा की जाती है।"

अमृत पत्रिका कहती है--"इस पाक्षिक पत्र को अब से बहुत पहले ही प्रकाशित कर देना चाहिए था।"

उजाला कहता है--"प्रकाशन सराहनीय और विषय की आवश्यकता देखते हुए बहुत संवर्धनीय है।"

संसार कहता है--"हम इस कल्याणकारी पत्र की उन्नति की कामना करते हैं और चाहते हैं कि शीघ्र ही इसका प्रकाशन साप्ताहिक रूप में हो। इसमें चित्र भी पर्याप्त रहते हैं और छपाई सफाई सुन्दर।"

अमर ज्योति कहता है-"पत्र की वर्तमान सामग्री से उसका भविष्य उज्ज्वल दीखता है। वह जिस उद्देश्य व ध्येय को लेकर चला है वह निस्सन्देह प्रशंसनीय है।"

भारतीय श्रमिक कहता है--"कलात्मक चित्रों और कार्टूनों से अंक और भी सम्पूर्ण हो गया है। कुल मिलाकर अंक रेखा और संगीत दोनों ही दृष्टि से बहुत ही सम्पूर्ण है। सम्पादक बधाई स्वीकारें।"

यह भारतीय उन्नति का प्रतीक है। साहित्य और आलोचना भी छपती है।

हमारे लेखकों में **वृन्दावनलाल वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रांगेय राघव, नागार्जुन, सत्यकेतु विद्यालंकार, खुशवन्तसिंह, मन्मथनाथ गुप्त, सत्यदेव विद्यालंकार** आदि हैं। हर अंक में बीसियों चित्र होते हैं।

आज ही ग्राहक बनिए। एक प्रति के दो आने और वार्षिक मूल्य २॥) रु०। अपने पुस्तक-विक्रेता से माँगें या लिखें :—

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

Regtd. No.D. 28

हमारे हिन्दी प्रकाशन

	मूल्य	डाक व्यय
जातक कथाएं	०–१२–०	०–४–०
सरल पंचतंत्र भाग–१	०–१२–०	०–३–०
भाग २, ३, ४ तथा ५	०– ६–०	०–२–०
	प्रत्येक	
भारत १९५४	७–८–०	१–६–०
भारत की एकता का निर्माण	५–०–०	१–६–०
स्वाधीनता और उसके बाद	५–०–०	१–६–०
भारत १९५६	४–८–०	१–०–०
शान्ति तथा सद्भावना की ओर	०–८–०	०–२–०
समाज और संस्कृति	०–८–०	०–२–०
छठा साल	१–८–०	०–६–०
नवीन भारत का निर्माण	०–८–०	०–२–०
भारत की लोक कथाएं	१–०–०	०–४–०
हमारा झंडा	०–८–०	०–२–०

	मूल्य	डाक व्यय
अस्पृश्यता निवारण	०–६–०	०–२–०
वैदिक साहित्य	०–६–०	०–२–०
मानव विज्ञान	०–४–०	०–१–०
कबीर एक विश्लेषण	०–६–०	०–२–०
रेडियो विकास योजना	०–६–०	०–२–०
प्रयाग दर्शन	०–४–०	०–२–०
भारत की कहानी	०–१२–०	०–३–०
तीसरा साल	१–८–०	०–६–०
एशिया अफ्रीका सम्मेलन	०–४–०	०–२–०
आदर्श विद्यार्थी-बापू	०–६–०	०–२–०
यह बनारस है	०–४–०	०–२–०
जवाहरलाल नेहरू के भाषण	०–१–०	०–१–०
भाग १, २ तथा ३	प्रत्येक	
गौतम बुद्ध पर महात्मा गांधी के विचार	०–२–०	०–२–०

दस रुपए या इससे अधिक के आर्डर पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा। पोस्टल आर्डर द्वारा रुपया प्राप्त होने पर सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्त या सीधे लिखें।

बिजनेस मैनेजर—

पब्लिकेशन्स डिवीज़न

ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली–८

Printed at the Albion Press, Kashmere Gate, Delhi 6, and Published on behalf of Ministry of Community Development by the Publications Division, Delhi—8.